रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परन्तुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -

(क) नियम 5 का लोप किया जाएगा।

1042 GI/15—1A

(ख) नियम 6 में उपनियम (1) में "पचास लाख रुपए से अधिक हो या संगत अवधि दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" पद के स्थान पर "पचास लाख रुपए और उससे और संगत अवधि के दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में "समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उससे या जिसका वार्षिक औसत कारोबार, संगत अवधि के दौरान" पद के स्थान पर "समादत्त पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम हो और वार्षिक औसत कारोबार, संगत अवधि के दौ शब्द रखे जाएंगे;

(घ) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"**7क शास्ति.** यदि कोई एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का कोई अधिकारी इन नि के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का अधिकारी जुर्माने के साथ दंड का पात्र होगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है और उल्लंघन के जारी रहने के लिए प्रथम अपराध के दिन से प्रतिदिन पांच सौ रुपए तक और जुर्माना लगाया जा सकता है"।

(ङ) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) के उपखंड (xi) के परंतुक में "अधिनियम धारा 248 के अंतर्गत" शब्दों और अंकों के के पश्चात् "या कंपनी अधिनियम, 1956 (1 का 1) की धारा 560 के अंतर्गत" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(च) नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

"(थ) प्रवर्तक या प्रथम निदेशक का स्वप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम फोटो निर्धारित प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-10 में होगा"।

(छ) नियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"**36. निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया** - (1) कंपनी के निगमन के लिए प्ररूप भरने सरलीकरण के प्रयोजन के लिए इस नियम के उपबंध एकीकृत प्रक्रिया के संबंध में 1 2015 से लागू होंगे।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एकीकृत प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ तीन निदेशकों निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन के लिए, नाम का आरक्षण, कंपनी के निग और प्रस्तावित कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ दो

रुपए के साथ कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थान के क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार के पास एकीकृत **प्ररूप संख्या आईएनसी-29 (एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और उत्पादक कंपनी के लिए)** के माध्यम से किया जाएगा।

(3) एकीकृत निगमन प्ररूप फाइल करने के प्रयोजनों के लिए अधिकतम तीन निदेशकों की विशिष्टियां आईएनसी-29 में फाइल किए जाएँगे और यदि प्रस्तावित निदेशकों के पास अनुमोदित डीआईएन नहीं है तो आईएनसी-29 में अधिकतम तीन प्रस्तावित निदेशकों को डीआईएन के आवंटन की अनुज्ञा होगी।

(4) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक (आवेदकों) को ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में मात्र एक नाम का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा होगी।

(5) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक आईएनसी-30 में दिए नमूने के अनुसार संगम-ज्ञापन तैयार कर सकते हैं और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप आईएनसी-31 में संगम अनुच्छेद के नमूने का विकल्प चुन सकते हैं।

(6) प्रवर्तक या आवेदक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और पठनीय रूप से स्कैन किए गए प्ररूपों में संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर और साक्षी करेगा और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार ई-प्ररूप आईएनसी-29 में संलग्न करेगा।

(7) प्ररूप आईएनसी-29 में निगमन के लिए एकीकृत आवेदन फाइल करने की सुविधा इन नियमों में यथाउपबंधित अनुसार निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटन, नाम आरक्षण और कंपनी के निगमन के लिए अलग आवेदनों की प्रक्रिया के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी।

(8) इस नियमों में उपबंधित अनुसार, निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कोई आवेदन फाइल करने के लिए अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपखंड (i) और इन नियमों के नियम 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(9) इस नियम के उपबंधों का उपयोग करने वाली कोई कंपनी ई-प्ररूप आईएनसी-29 फाइल करके अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती है, और ऐसे मामले में कंपनी (ऐसे ई-प्ररूप आईएनसी-29 के साथ) नियम 25 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज संलग्न कर सकती है।

(10) ई-प्ररूप आईएनसी-22 को फाइल करन की अपेक्षा समाप्त कर दी जाएगी प्रस्तावित कंपनी दिए हुए पत्राचार पते पर उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखती है।

(11) कंपनी के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाला रजिस्ट्रार पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन (आवेदनों) सहित आईएनसी-29 पर प्रक्रिया करेगा।

(12)(क) जहां रजिस्ट्रार, ई-प्ररूप आईएनसी-29 की जांच पर, और अधिक सूचना मंगाना आवश्यक समझता है या किसी संबंध में ऐसे आवेदन या दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह वहां आवेदक को त्रुटि का समाधान करने की सूचना देगा और रजिस्ट्रार द्वारा दी गई ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्ररूप पुन: जमा करने के लिए कहेगा।

(ख) दस्तावेज पुन: जमा किए जाने के पश्चात् भी यदि रजिस्ट्रार किसी मामले में दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह ऐसी त्रुटियों या कमियो को दूर करने के लिए पंद्रह दिन का एक और अवसर प्रदान करेगा।

(ग) यदि रजिस्ट्रार ऐसी दो अवसर देने के बाद भी किन्ही मामलों में दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो प्रस्तावित ई-कंपनी का ई-प्ररूप आईएनसी-29 अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(13) रजिस्ट्रार द्वारा निगमन सबूत-पत्र प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में जारी किया जाएगा।

(ज) उपाबंध में, प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 18" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे।

(झ) उपाबंध में,-

(क) प्ररूप संख्या आईएनसी-7, आईएनसी-10, आईएनसी-11, आईएनसी-22 के लिए नम्बर निम्नलिखित 22 रखे जाएंगे, अर्थात् -

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

कंपनी (एकल व्यक्ति वाली कंपनी से भिन्न) के निगमन के लिए प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट पढ़ें।

1. * प्ररूप आई. एन. सी.1 का सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर एन.)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी का प्रकार (ग) कंपनी की श्रेणी

(घ) प्रवर्ग (ङ.) उप उपवर्ग

(च) धारा 8 अनुज्ञप्ति संख्या

(छ) कंपनी o शेयर पूंजी वाली है o बिना शेयर पूंजी वाली है।

3. (क) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।

(ग) * क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।

□ हाँ □ नहीं

(घ) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र

IndiaCode

* जिला * पिन कोड

आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस डी. कोड के साथ)

फैक्स

* कंपनी का ई-मेल आई. डी.

4. I* कंपनी की पूंजी संरचना,

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में.)

(i) साधारण अंशों के वर्गों की संख्या साधारण अंशों की कुल संख्या

साधारण अंश की कुल राशि(रु. में)

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या

अधिमान अंश की कुल संख्या

अधिमान अंश की कुल राशि

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(ख) कंपनी की कुल प्रतिभूत पूंजी (रूप. में.)

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या साधारण अंशों की कुल संख्या

IndiaCode

	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

अधिमान अंश की कुल राशि (रु.में)

की अधिकतम संख्या की प्रविष्टि करें

को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

कर्मचारियों (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या

निदेशक बोर्ड का मुख्य प्रभाग

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 - झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी वित्तीय एवं

विनियमित करेगी: ० हाँ ० नहीं

की प्रविष्टि करें जिसके भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा इसे

अधिमान) की संख्या की प्रविष्टि करें

अधिमान) की विशिष्टियां

(सिन) या आयकर स्थायी लेखा संख्या

(सिन) या कारपोरेट पहचान संख्या (सिन)

(एफ. सी. आर. एन.) या कोई

पूर्व - पूरित

ब्यौरे सत्यापित करें

IndiaCode

* प्रथम नाम

मध्य नाम

* उप नाम

परिवार नाम

* O पिता का नाम O माता का नाम O पति / पत्नी का नाम

* राष्ट्रिकता * जन्म की तारीख

* लिंग (रेडियो बटन) ◻ पुरुष ◻ महिला ◻ ट्रांसजेंडर

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)

* उपजीविका का प्रकार स्व - नियोजित वृत्तिक होम मेकर छात्र नौकरी पेशा

* उपजीविका का क्षेत्र

* शैक्षिक अर्हता

* निकाय का नाम

* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

स्थाई पता / रजिस्ट्रीकृत पता / कारोबार का मुख्य स्थान

* पंक्ति I

पंक्ति II

*नगर

* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र *पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

IndiaCode

मोबाइल

फैक्स

* ई- मेल आई. डी.

* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र *पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल

फैक्स

* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष मास

यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम है तो पूर्व आवास का पता

* पहचान का सबूत

* आवासीय सबूत

यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या प्रवर्तक है, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें (यदि तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है तो वैकल्पिक संलग्नक के रूप में पृथक से पत्रक (शीट) संलग्न करें।

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

IndiaCode

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

कंपनी का नाम

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

कंपनी का नाम

* प्रतिभूत शेयरों की संख्या [] * प्रतिभूत शेयरों की कुल राशि (रु. में) []

* प्राधिकृत व्यक्तियों की विशिष्टियां

(क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम []

(ख) O पिता का नाम O भाता का नाम O पति / पत्नी का नाम

[]

(ग) लिंग □ पुरुष □ महिला □ उभयलिंग

(घ) राष्ट्रीकता [] (घ) जन्म की तारीख []

(ड.) फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ) [] []

(च) ई- मेल आई. डी. []

8. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की गई है या नहीं □ हाँ □ नहीं []
(यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेद को संलग्न किया जाना चाहिए)

(ख) अनुच्छेदों की संख्या जिनमें छँटनी के उपबंध लागू होंगे

अनुच्छेद के ब्यौरे जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे

क्र. सं.	अनुच्छेद सं.	विषय वस्तु

9. स्टांप इयूटी के संदाय की विशिष्टियां

(क) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिसका बाबत स्टांप इयूटी संदत्त किया (पूर्व पूरित)

(ख) क्या स्टांप इयूटी एम. सी. ए. 21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किया जाना।

IndiaCode

□ हाँ □ नहीं □ लागू नहीं

(i) संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी का ब्यौरा

दस्तावेज /की विशिष्टियां	प्ररूप आई. एन. सी. 7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी की राशि (रु. में)			

(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्टांप इयूटी का ब्यौरा दें

दस्तावेज / विवरणियों का प्रकार	प्ररूप आईएनसी 7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
संदत्त स्टांप इयूटी की कुल राशि (रु. में)				
स्टांप इयूटी के संदाय की पद्धति				
वेंडर या खजाने या प्राधिकारी का नाम जो स्टांप इयूटी संग्रह करने या स्टांप पेपर की बिक्री करने या दस्तावेजों को उत्कीर्ण करने या सरकार की ओर से स्टांप वाउचर को संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं				
उत्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चालान संख्या				
वेंडर की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
स्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप इयूटी के संदाय की तारिख (दिन/मास/वर्ष)				
स्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप इयूटी के संदाय का स्थान				

10. स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती खाता संख्या (टैन) आवेदन हेतु अतिरिक्त सूचना

पैन विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड		एओ प्रकार		रेंज कोड		एओ सं.			

टैन विशिष्ट सूचना

IndiaCode

क्षेत्र कोड		एओ प्रकार		रेंज कोड		एओ सं.			

आय का स्रोत

- ☐ व्यापार/वृत्ति से आय
- ☐ पूंजी अभिलाभ
- ☐ गृह संपत्ति से आय
- ☐ अन्य स्रोतों से आय
- ☐ कोई आय नहीं

व्यापार/वृत्ति कोड

11. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत नियोक्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त सूचना

कार्य का प्रचार ○ कारखाना ○ स्थापन

किए जा रहे कार्य/व्यापार की वास्तविक प्रकृति

ड्रॉप डाउन

कार्य उप श्रेणी

ड्रॉप डाउन

** यह सूचना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामले में यह सूचना कंपनी के निगमन के समय दिया जाना अनिवार्यक रूप से अपेक्षित है। यह सुविधा ई-फिल पोर्टल द्वारा निर्धारित अलग प्रक्रिया के अनुसार केवल ई-फिल पोर्टल पर उपलब्ध है।

संलग्नक

1)	* संगम ज्ञापन	संलग्न करें
2)	* संगम अनुच्छेद	संलग्न करें
3)	* प्ररूप सं. आई. एन. सी. 8 में घोषणा	संलग्न करें
4)	* प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का शपथ पत्र	संलग्न करें
5)	* आवासीय पता का सबूत	संलग्न करें
6)	प्ररूप सं. आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर	संलग्न करें
7)	पहचान का सबूत	
8)	छँटनी किए गए संगम अनुच्छेद	संलग्न करें
9)	भारतीय रिजर्व बैंक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति	संलग्न करें
10)	प्रवर्तकों (संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति सबूत पत्र	संलग्न करें
11)	राष्ट्रीयकता सबूत (यदि अभिदाता कोई विदेशी राष्ट्रिक है)	संलग्न करें
12)	पैन कार्ड (भारतीय राष्ट्रिक की दशा में)	संलग्न करें
13)	विदेशी निगमित निकाय के निगमन के सबूत पत्र तथा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता की प्रति	संलग्न करें
14)	संगम ज्ञापन में अभिदान के लिए प्राधिकृत करने से संबंधित सभी भागीदारों द्वारा संकल्प/सहमति या सम्मति संकल्प की प्रति	संलग्न करें
15)	वैकल्पिक सहमति यदि कोई हो	

IndiaCode

घोषणा

I * मैं के रूप में अनुच्छेद में नामित व्यक्ति घोषणा करता हूँ कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और उससे पूर्वागी या अनुषंगी विषयों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदाय करने वाले अन्य प्रवर्तकों तथा पहले निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता है कि :

1. जब कभी इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो भी कथन है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्पूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. मैंने इस प्ररूप के सभी संलग्नक देख लिए हैं और उन्हें सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और सुपाठ्य के रूप में सत्यापित किया है।
3. जिसकी सदस्यता संख्या [] और/या व्यवसाय सबूत पत्र संख्या [] है, को धारा 7 (1) (ख) के अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।
4. मैं आवेदक, की हैसियत में यह घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सूचना और विश्वास के अनुसार सही है।

*अंकीय हस्ताक्षर किया जाए

डी. एस. सी. बॉक्स

* पदनाम

* निदेशक पहचान संख्या

टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या मिथ्या विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: मिथ्या कथन एवं मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।

उपांतरित करें | प्ररूप की जाँच करें | संवीक्षा पूर्व | प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर. एन.) ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा रजिस्ट्रीकृत

यह ई-प्ररूप एतद् द्वारा अस्वीकृत

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर जमा करने की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

IndiaCode

प्ररूप सं. आई एन सी-10

अभिदाताओं के हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए प्ररूप

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 16(1)(थ) के अनुसरण में]

4' X 4' आकार (पासपोर्ट आकार)

1. अभिदाता/प्रथम निदेशक का नाम, पिता का नाम और पता:

2. दो नमूनों के हस्ताक्षर:

 (i)

 (ii)

अनुप्रमाणित

(पता के साथ स्व-अनुप्रमाणित किया जाए)

IndiaCode

टिप्पण:

1. उपरोक्त बिन्दु संख्या में, जो लागू न हो उसे हटा दें।
2. सांक्ष्याकन करने वाला व्यक्ति अपना नाम, पता और पहचान पत्र संख्या दर्शाएं

प्ररूप सं. आईएनसी-11

निगमन का सबूत-पत्र

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (2) और
कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसरण में]

मैं प्रमाणित करता हूँ कि (कम्पनी का नाम) को दो हजार के दिन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित किया जाता है और यह कि यह कम्पनी शेयरों/प्रत्याभूति से लिमिटेड/अलिमिटेड है।

कम्पनी का सीआईएन है

..... दो हजार..... के दिन मैं मेरे हस्ताक्षर से प्रदत्त है ।

मुहरबंद :

कम्पनी रजिस्ट्रार

.....

(राज्य)

IndiaCode

प्ररूप संख्या आईएनसी 22

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) एवं (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25 और नियम 27 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की स्थिति अथवा स्थिति के परिवर्तन की नोटिस

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

प्ररूप को भरने हेतु निदेश किट देखें

1. *यह प्ररूप o नई कम्पनी o विद्यमान कम्पनी के लिए है

2. *(क) कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा प्ररूप संख्या आईएनसी 1 का एसआरएन [] पूर्व पूरित
 (ख) कम्पनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन) []

3. (क) कम्पनी का नाम []

 (ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता []

 (ग) कम्पनी के विद्यमान रजिस्ट्रार (आरओसी) के कार्यालय का नाम []

 (घ) *प्ररूप का प्रयोजन
 - ☐ नगर, शहर अथवा ग्राम की स्थानीय रेंज के भीतर परिवर्तन
 - ☐ नगर, शहर अथवा गाँव की स्थानीय रेंज के बाहर परिवर्तन, उसी आरओसी और राज्य के भीतर
 - ☐ उसी राज्य के भीतर आरओसी में परिवर्तन
 - ☐ उसी आरओसी के अधिकारिता के भीतर राज्य में परिवर्तन
 - ☐ वर्तमान आरओसी के अधिकारिता के बाहर राज्य में परिवर्तन

4. एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि

 *(क) [] (दिन/मास/वर्ष) से कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है-

 o कम्पनी के निगमन की तारीख है

 *पता पंक्ति I []
 पंक्ति II []
 *नगर []
 *जिला []
 *राज्य/संघ राज्य क्षेत्र []
 देश []
 *पिन कोड []
 *दूरभाष संख्या (आईएसडी कोड के साथ)
 * ई-मेल आईडी []

IndiaCode

(ख) * रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

o कम्पनी के स्वामित्व में है o निदेशक के स्वामित्व में है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है)

o कम्पनी द्वारा पट्टे पर लिया गया है o किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के स्वामित्व में है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है)

(ग) * प्रस्तावित आरओसी अथवा नए आरओसी के कार्यालय का नाम

(घ) पुलिस थाने का पूरा पता जिसके क्षेत्राधिकार में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है

*नाम

*पता पंक्ति I

पता पंक्ति II

*शहर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

*पिन कोड

(ङ) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता बताने वाले उपयोगिता सेवा बिल की विशिष्टियां (दो मास से पहले का न हो)

5. (क) *प्ररूप एमजीटी 14 का एसआरएन

(ख) *संबंधित प्ररूप का का एसआरएन

(ग) *केंद्रीय सरकार के आदेश की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

संलग्नक **संलग्नकों की सूची**

(1) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता का सबूत (वाहन/ पट्टा करार/ किराया रसीद सहित किराया करार) आदि.; **संलग्नक**

(2) *उपर उल्लेखानुसार उपयोगिता बिलों की प्रतियाँ (दो मास से पहले का न हो); **संलग्नक**

(3) * यह कि कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रुप मे पता का उपयोग करने के लिए कम्पनी को अनुज्ञा देने संबंधी सबूत पत्र यदि इसका स्वामित्व किसी अन्य निकाय/व्यक्ति के पास है (कम्पनी द्वारा पट्टे पर नहीं लिया गया है); **संलग्नक**

(4) *सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति; **संलग्नक**

(5) समान रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पता वाले सभी कम्पनियों (उन्हे सीएनआई का उल्लेख करते हुए) की सूची,यदि कोई हो **संलग्नक** **संलग्नक हटाएँ**

(6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

IndiaCode

घोषणा

मैं * []

(i) कम्पनी के एक (ड्रॉप डाउन: निदेशक/प्रबंधक/कम्पनी सचिव)) के रूप में अनुच्छेदों में नामित एक व्यक्ति को इस प्ररूप के हस्ताक्षर के लिए संकल्प संख्या तारीख के माध्यम से कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है और घोषित किया जाता है कि

(ii) *कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु और इसके प्रासंगिक मामलों के संबंध मे किए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

(iii) *मैं यह भी घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नको सहित उपयुक्त दी गई सभी सूचना सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा कोई भी सामग्री छुपाया नही गया है।

(iv) इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (संक्षिप्त विवरण बॉक्स), [] संख्या और प्रैक्टिस संख्या [] का सबूतपत्र वाले (ड्रॉप डाउन) {मूल्य: चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/ लागत लेखा} को इस उद्देश्य के लिए सम्यक् नियुक्त किया गया है।

***निम्नलिखित द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित किया जाना है** []

*पदनाम []

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा []
कम्पनी सचिव की सदस्यता संख्या

वृत्तिक व्यवहार द्वारा सबूत-पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के सबूतन के लिए सम्यक् रूप से लगा हुआ है । यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित) कम्पनी के पास उपलब्ध मूल अभिलेख से सत्यापित की है जो कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

1. उपर्युक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, कम्पनी के संबंधित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित उपबंधों के अनुसार रखे जाते हैं और ठीक पाए गए;

2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप में संलग्न किए गए हैं ।

3. यह और भी घोषित करता हूँ कि प्ररूप मे दिए गए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के उल्लिखित पते पर मैंने स्वयं दौरा किया है और सत्यापित किया कि कम्पनी का उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कम्पनी के कारबार के प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाना है

डीएससी बॉक्स

- ○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- ○ कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
- ○ कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

एसोसिएट अथवा अध्येता 0. एसोसिएट 0. अध्येता

सदस्यता संख्या

व्यवासय संख्या का सबूत-पत्र

टिप्पण : धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या विवरण / सबूत-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है ।

रूपांतरित करें	फॉर्म जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें

केवल शासकीय के उपयोग के लिए :

दायर किए जाने वाला ब्यौरा संलग्न करें

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)..... ई-फॉर्म प्रस्तुत करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है

यह ई-फॉर्म एतद्द्वारा रद्द किया जाता है (प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करें)

अस्वीकृत किए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

अथवा

यह ई प्ररूप को इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से कम्पनियों के रजिस्टर द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिया गया है।

(2) प्ररूप आईएनसी-28 के पश्चात् प्ररूप निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

प्ररूप सं. आईएनसी-29 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 4, 7, 12, 152 और 153 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में)	एकीकृत निगमित प्ररू

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए निदेश किट का प्रयोग करें

1. (क)*कंपनी का नाम.....

(ख)* कंपनी का वर्ग o पब्लिक o प्राइवेट oएकल व्यक्ति कंपनी

(ग)*कंपनी का प्रवर्ग.....

(घ)* कंपनी की उप-प्रवर्ग.....

(ङ)* कंपनी [redacted] शेयर पूंजी वाली है [redacted] शेयर पूंजी वाली नहीं है।

2. (क)* कंपनी की औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य प्रभाग.....

मुख्य विभाग का वर्णन

(ख)* क्या मानक सांचा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के अधीन उल्लिखित संगम ज्ञापन का नमूना चुना गया है o हां o नहीं

(ग)* (i) क्या मानक सांचा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के अधीन उल्लिखित संगम अनुच्छेद का नमूना चुना गया है o हां o नहीं

(ii) क्या संगम अनुच्छेद का अतिक्रमण हुआ है o हां o नहीं

(iii) अनुच्छेदों की संख्या, जिन परिरक्षास्थापना के उपाबंध लागू किए जाएंगे

ऐसे अनुच्छेदों का विवरण

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	खंड के परिरक्षास्थापना का संक्षिप्त विवरण

3. (i)* कंपनी की पूंजीगत संरचना.....

कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी (रूपए में).....

अभिदत्त शेयर पूंजी	साम्या	अधिमान	अज्ञात

शेयरों की संख्या			
प्रतिशेयर का नामिक मूल्य (रूपए में)			
कुल राशि (रूपए में)			

कुल अभिदत्त शेयर पूंजी (रूपए में).....

अभिदत्त	साम्या	अधिमान	अजात
शेयरों की संख्या			
प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य (रूपए में)			
कुल राशि (रूपए में)			

सदस्यों की संख्या का ब्यौरा

सदस्यों की अधिकतम संख्या दें	
कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या	
सदस्यों की संख्या	
कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या	

रजि. पत्राचार का पता

*फ्लैट नं.

*गली नं.

*नगर

*राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... *पिन कोड.....

*जिला.....

*दूरभाष (एसटीडी कोड सहित).....

IndiaCode

फैक्स.....

*कंपनी का ई-मेल पता.....

*(ख) क्या पत्र व्यवहार का पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता है ० हां ० नहीं

*(ग) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम, जहां कंपनी रजिस्ट्रीकृत होनी प्रस्तावित है

.....

5. * प्रस्तावित नाम के ब्यौरे

(क)

प्रस्तावित नाम	
प्रस्तावित नाम में संक्षिप्त या संक्षेपाक्षर शब्द का महत्व	
यदि प्रस्तावित नाम था उसके अर्थ में क्षेत्रीय भाषा प्रयुक्त हुई है।	

(ख)

(i)* क्या प्रवर्तक आवेदन किए गए नाम पर कोई भागीदारी फर्म, पूर्ण स्वामित्व या रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व का संचालन भी कर रहा है। यदि हां, क्या ऐसी अस्तित्व का ऐसे कारबार अर्जित किया जाएगा?	० हां ० नहीं ० हां ० नहीं
(ii)* क्या प्रस्तावित नाम में संस्थापक (संस्थापकों) के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या उनके निकट रक्त- संबंधी है	० हां ० नहीं
(iii)* क्या प्रस्तावित नाम में नातेदार (नातेदारों) का नाम भी शामिल है	० हां ० नहीं
(iv)* क्या किसी शाखा विषयक नियामक से अनुमोदन अपेक्षित है	० हां ० नहीं
(v) क्या कंपनी का नाम है ० वर्तमान भारतीय कंपनी के समान है ० विदेशी कारपोरेट निकाय के समान	

IndiaCode

निदेशक बोर्ड के रूप में अनापत्ति सबूत-पत्र (उस कंपनी के एक निदेशक द्वारा यथावत प्रमाणित की प्रति संलग्न करें]

डीआईएन बताएं.....(पूर्व पूरित)

कंपनी का नाम.....

क्या प्रस्तावित नाम एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह पर या व्यापार चिन्ह अधिनियम के रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित एक आवेदन की विषय वस्तु पर आधारित है o हां o नहीं

चिन्ह के वर्ग (वर्गों) विनिर्दिष्ट करें (ब्यौरे के लिए निदेश किट देखें)

.....

चिन्ह के आवेदन का या आवेदक या स्वामी अनुमोदन की विशिष्टियां दें।

.....

.....

कंपनी के पहले अभिदाता (अभिदाताओं) और कंपनी के निदेशकों के नाम

	विधिमान्य डीआईएन है	विधिमान्य डीआईएन नहीं है
की कुल संख्या (अभिदाता -सह-निदेशक		
अभिदाता (अभिदाताओं))-सह-निदेशक		
सह-निदेशक से भिन्न व्यैक्तिक प्रथम (अभिदाताओं) की संख्या		
प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं) की		

IndiaCode

(ख)* निदेशकों (प्रथम अभिदाताओं से भिन्न) की विशिष्टियां

1.* निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन).....(पूर्व पूरित)

* नाम.....

* लिंग.....जन्म की तारीख.....* राष्ट्रीकता.....

*पदनाम.....*प्रवर्ग.....

क्या ० अध्यक्ष ■ कार्यपालक निदेशक ■ गैर-कार्यपालक निदेशक

* कंपनी या संस्थान का नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है

.....

* ई-मेल पता.....

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है (यदि संस्था के पास सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन है तो उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है)

.....

*रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

*पता.....

हित का प्रकार	*पदनाम.....
	शेयरधारण का प्रतिशत.....राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

1.* प्रथम नाम

मध्य नाम.....

*उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

*पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग.....*जन्म की तारीख.....* राष्ट्रीकता.....

* जन्म का स्थान.....

*क्या भारतीय नागरिक है ० हां ० नहीं * क्या भारतवासी है ० हां ० नहीं

MediaCode

* व्यवसाय का प्रकार ○ स्वनियोजित ○ वृतिक ○ घरेलू ○ विद्यार्थी ○ सेवक

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

*शैक्षिक अर्हता.....

* ▪ स्थायी खाता संख्या ▪ पासपोर्ट संख्या (सत्यापित करें)

* पदनाम..... *प्रवर्ग.....

* क्या ▪ अध्यक्ष ▪ कार्यपालक निदेशक ▪ गैर-कार्यपालक निदेशक

* कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्दिशिति व्यक्ति नियुक्त है.....

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

*पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ○ हां ○ नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

*पंक्ति II.....

IndiaCode

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ राष्ट्र कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* वर्तमान पते पर रहने का अवधि.....वर्ष.....मास

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो, तो पूर्ववर्ती निवास का पता

.....

.....

* पहचान का सबूत.....* निवास का सबूत.....

मतदान पहचान कार्ड संख्या.....

चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....

आधार संख्या.....

संलग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रस्तुत करें।

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है-

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
* नाम.....
* पता.....

हित का स्वरूप	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत.....राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

(ग)* व्यैक्तिक प्रथम अभिदाता (अभिदाताओं)-सह-निदेशकों की विशिष्टियां

1. * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)

* नाम.....

* लिंग.....जन्म की तारीख.....राष्ट्रीकता.....

IndiaCode

* पदनाम.....* प्रवर्ग.....

क्या ▫ अध्यक्ष▫ कार्यपालक निदेशक▪ गैर-कार्यपालक निदेशक

* कंपनी या संस्थान का नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है

.....

*ई-मेल पता.....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
सामान्य शेयर		
अधिमान शेयर		

ऐसी संस्थाओं की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है (यदि ऐसी संस्थाएं सीआईएन/ एफसीआरएन/ एलएलपीआईएन वाली है तो उल्लेख करने का उल्लेख नहीं करें).....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का प्रकार	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशत.....राशि.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

1.* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

*उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

*पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग.....*जन्म की तारीख* राष्ट्रीकता.....

* जन्म का स्थान.....

*क्या भारतीय नागरिक है ○ हां ○ नहीं * क्या भारतनिवासी है ○ हां ○ नहीं

* व्यवसाय का प्रकार ○ स्वनियोजित ○ पेशेवर ○ घरेलू ○ विद्यार्थी ○ सेवक

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

*शैक्षिक अर्हता.....

* स्थायी खाता संख्याक पासपोर्ट संख्या (विवरण सत्यापित करें)

* पदनाम.....*प्रवर्ग.....

* क्या अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक

* कंपनी या संस्था का नाम, जिसका नामनिर्देशिति व्यक्ति नियुक्त है.....

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ○ हां ○ नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* शहर

IndiaCode

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

* वर्तमान पते पर रहने का अवधि.....वर्ष.....मास

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्त निवास का पता

.....

** पहचान का सबूत.....* निवास का सबूत.....

मतदान पहचान पत्र संख्या.....

चालन अनुज्ञपित संख्या.....

आधार संख्या.....

सलग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रदान करें।

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

ऐसे अस्तित्वों की संख्या, जिनमें निदेशक का हित है.....

* रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

* नाम.....

* पता.....

हित का स्वरूप	*पदनाम.....
	शेयर धारिता का प्रतिशतता.....रकम.....
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें).....

IndiaCode

(घ)• व्यैक्तिक प्रथम अंशदाता (अंशदाताओं)-सह-निदेशकों की विशिष्टियां (अभिदाता-सह-निदेशक से भिन्न)

I • निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)..... (पूर्व पूरित)

• नाम.....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्या शेयर		
अधिमान शेयर		

I • प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

• उपनाम.....

• पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

•पिता का उपनाम.....

•लिंग.....•जन्म की तारीख.....• राष्ट्रीकता.....

• जन्म का स्थान.....

• व्यवसाय का प्रकार ० स्वनियोजित ० वृतिक ० घरेलू ० विद्यार्थी ० सेवक

• व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि 'अन्य' चुना गया है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

•शैक्षिक अर्हता.....

• ▬स्थायी खाता संख्या ■ पासपोर्ट संख्या (विवरण सत्यापित करें)

• ई-मेल पता.....

स्थायी पता

• पंक्ति I.....

IndiaCode

• पंक्ति II.....

• नगर

• राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

• आईएसओ देश कोड.....देश.....

• दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

• क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

• पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

• नगर

• राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

• आईएसओ देश कोड...देश.....

• दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

• वर्तमान पते पर रहने का अवधि.....वर्ष.....मास

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्त निवास का पता

.....

• पहचान का सबूत.....* निवास का सबूत.....

अनुलग्नकों में पहचान का सबूत और पते का सबूत प्रदान करें।

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्य शेयर		
अधिमान शेयर		

IndiaCode

(इ)* अव्यैक्तिक प्रथम अंशदाता (अंशदाताओं) की विशिष्टियां

* प्रवर्ग.....

*कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या

(एफसीआरएन) अथवा अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या..... (पूर्व पूरित)

*कारपोरेट निकाय का नाम

व्यवसाय का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता या भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान या भारत से बा व्यवसाय का मुख्य स्थान

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....

देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

फैक्स.....

*ई-मेल आईडी.....

प्राधिकृत व्यक्ति का की विशिष्टियां

* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

* उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

IndiaCode

* पिता का मध्य नाम.....

* पिता का उपनाम.....

* लिंग.....*जन्म की तारीख.....* राष्ट्रीकता.....

* स्थायी खाता संख्या..... (विवरण सत्यापित करें)

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य).....

* व्यवसाय का प्रकार

* व्यवसाय का क्षेत्र.....

*शैक्षिक अर्हता..

* ई-मेल पता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.देश.....

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

*ई-मेल आईडी.....

अभिदत्त शेयरों का प्रकार	अभिदत्त शेयरों की संख्या	अभिदत्त शेयरों की राशि
साम्य शेयर		
अधिमान शेयर		

IndiaCode

7. (क)* नामनिर्देशन

मैं*..... के संगम जापन के अंशदाता को एतदद्वारा नामित* करता/ करती हूं, जो मेरी मृत्यु होने या संविदा में असक्षम होने की स्थिति में कंपनी का सदस्य बनेगा। मैं घोषणा करता/ करती हूं कि कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार नामिति नामांकन के लिए पात्र है।

(ब) *नामनिर्देशन की विशिष्टियां

* प्रथम नाम.....

मध्य नाम.....

* उपनाम.....

* पिता का पहला नाम.....

पिता का मध्य नाम.....

*पिता का उपनाम.....

*लिंग*जन्म की तारीख.....*राष्ट्रीकता.....

* स्थायी खाता संख्या (विवरण सत्यापित करें)

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)

* व्यवसाय का प्रकार

* व्यवसाय का क्षेत्र

*शैक्षिक अर्हता.....

स्थायी पता

* पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोडदेश.....

IndiaCode

* दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

*ई-मेल आईडी

* क्या वर्तमान निवास पता और स्थायी निवास पता एक समान है ० हां ० नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I.....

* पंक्ति II.....

* नगर

* राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....* पिन कोड.....

* आईएसओ देश कोड.....

देश.....

दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित).....

मोबाइल.....

फैक्स.....

* वर्तमान पते पर रहने का अवधि.....वर्ष.....माह

यदि वर्तमान पते पर एक वर्ष से कम समय से रह रहे हो तो पूर्ववर्ती निवास का पता

.....

.....

* पहचान का सबूत..... *निवास का सबूत

IndiaCode

8. स्टांप शुल्क के संदाय की विशिष्टियां

(क) वह राज्य या संघशासित प्रदेश जिसके पक्ष में स्टांप (पूर्व पूरित)
शुल्क का भुगतान किया गया या किया जाना है.....

(ख) * क्या स्टांप शुल्क का भुगतान एमसीए-21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाना है o हां o नहीं o लागू नहीं

(i) भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क का विवरण

दस्तावेज का प्रकार/ विशिष्टियां	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
भुगतान किए जाने वाले स्टांप शुल्क की राशि (रूपए में)			

(ii) भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

दस्तावेजों का प्रकार/ब्यौरा	प्ररूप	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य
भुगतान किए हुए स्टाम्प शुल्क की कुल राशि				
स्टाम्प शुल्क भुगतान का प्रकार				
सरकार की तरफ से स्टाम्प शुल्क एकत्रित करने अथवा स्टाम्प पेपर बेचने अथवा दस्तावेजों पर मुहर लगाने या स्टाम्प आउधर बांटने के लिए प्राधिकृत विक्रेता या कोषागार या प्राधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकरण का नाम				
मुहर या स्टाम्प या स्टाम्प पेपर की क्रम संख्या या कोषागार चालान संख्या				
विक्रेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भुगतान की तारीख (दिदि/मम/वववव)				
स्टाम्प या स्टाम्प पेपर के बिक्रीत या स्टाम्प शुल्क के भुगतान का स्थान				

IndiaCode

...ई खाता संख्या (पीएएन) और कर कटौती खाता संख्या (टीएएन) के आवेदन के लिए ...तिरिक्त सूचना**

...ए विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.

...ए विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेंज कोड	एओ सं.

...ए

...वृत्तिक से आय | 0 पूंजी अभिलाभ | 0 गृह संपत्ति से आय

...तों से आय | 0 कोई आय नहीं

...वृत्तिक कोड

...ारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधीन नियोक्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त

...धार कारखाना स्थापन

...ति की सही स्थिति कार्य उप वर्ग

...ए नियमन के उद्देश्य पैन और/अथवा टैन के आवेदन के लिए इच्छुक आवेदकों द्वारा यह ...लंडर करवाना आज्ञापक है। यह सुविधा ई-बिज पोर्टल द्वारा निर्धारित पृथक प्रक्रिया के ...रिया ई-बिज पोर्टल पर उपलब्ध है।

...ची

...पन;	संलग्न करें	
...नुरोध;	संलग्न करें	
...धारक(ओं) एवं निदेशक(कों) द्वारा दिए गए ...ज एवं शपथ;	संलग्न करें	

indiacode

4.	कार्यालय पता का सबूत (किराया रसीद के साथ हस्तांतरण पत्र/पट्टा विलेख/किराया करार आदि);	संलग्न करें	
5.	उपयोगिता बिल की प्रति (दो माह से अधिक पुराना न हो)	संलग्न करें	
6.	व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यापार चिन्ह के स्वायी अथवा ऐसे आवेदन के आवेदक का अनुमोदन;	संलग्न करें	
7.	संबंध का सबूत;	संलग्न करें	
8.	एकल स्वामी/भागी/अन्य सहयोगी/वर्तमान कंपनी से अनापत्ति सबूतपत्र (एनओसी);	संलग्न करें	
9.	अन्य किसी व्यक्ति से अनापत्ति सबूत पत्र (एनओसी);	संलग्न करें	
10.	विदेशी कारपोरेट इकाई के निगमन एवं पारित संकल्प के सबूत पत्र की प्रति;	संलग्न करें	
11.	संप्रवर्तक कंपनी द्वारा पारित संकल्प;	संलग्न करें	
12.	वर्तमान भारतीय कंपनी से अनापत्ति सबूत पत्र (एनओसी);	संलग्न करें	
13.	अन्य कंपनियों में प्रथम निदेशक(कों) का हित;	संलग्न करें	
14.	नामित व्यक्ति की सम्मति;	संलग्न करें	
15.	अंशधारक के निवास के पते एवं पहचान का सबूत;	संलग्न करें	
16.	नामित व्यक्ति के निवास के पते एवं पहचान का सबूत;	संलग्न करें	
17.	आवेददक I के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
18.	आवेददक II के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
19.	आवेददक III के पते एवं पहचान का सबूत	संलग्न करें	
20.	ऐच्छिक अनुलग्नक, (यदि कोई हो)	संलग्न करें	

अनुलग्नक हटाएं

IndiaCode

घोषणा

•मैंने नाम के आरक्षण की बाबत में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, इसके अधीन नियमों एवं निर्धारित तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को पढ़ा है और इसके अर्थ को समझा है कि प्रस्तावित नाम इसके अनुरूप है।

•मैंने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल में उपलब्ध खोज सुविधाओं का प्रयोग पूर्व से रजिस्ट्रीकृत अथवा पूर्व में अनुमोदित नामों वाली कंपनियों व सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के साथ क्रमशः प्रस्तावित नाम की समानता की जांच के लिए किया है।

•प्रस्तावित नाम ने संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है और समय-समय पर इसका संशोधन किया जाता है।

•प्रस्तावित नाम लोगों के किसी भी वर्ग के लिए घृणोत्पादक नहीं है अर्थात प्रस्तावित नाम में ऐसी किसी प्रकार की अचारभ्रष्टता अथवा शब्द या वाक्यांश अंतर्विष्ट नहीं है जो समान्यतः पर जातीय समूह, धर्म, लिंग या परंपरा के लिए है।

•कंपनी द्वारा प्रस्तावित नाम के उपयोग से किसी भी विधि के अधीन आपत्तिजनक नहीं होगा।

•यदि बाद में यह नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) और धारा 4(4) के उपबंधों व इसके नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इसके परिणाम के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने का वचनबद्ध देता हूं और मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5)(ii)(क) और (ख) के उपबंधों और नियमों को पढ़ा और समझा है और इसके परिणाम के लिए स्वयं को उत्तरदायी घोषित करता हूँ।

•मैं----------, जो इस अनुच्छेद में कंपनी के निदेशक के रूप में नामित है, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए विधिवत रूप से सम्यक हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बने नियमों की आवश्यकताओं, जो निदेशक पहचान संख्या (डिन) कंपनी के रजिस्ट्रीकरण एवं इससे पूर्ववर्ती या प्रासंगिक मामलों से संबंधित है, को संकलित किया गया है।

मैं संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद को स्वीकार करने वाले प्रवर्तकों तथा प्रथम निदेशक(कों) द्वारा यह घोषणा करने तथा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं।

IndiaCode

* प्रत्येक अंशधारकओं द्वारा यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी तब तक अपना [illegible] आरंभ नहीं करेगी जब तक प्रत्येक अंशधारक ने संगम ज्ञापन को स्वीकार करने के [illegible] उसके द्वारा प्राप्त शेयरों के मूल्य का भुगतान न कर दिया हो।

[illegible] घोषणा करता हूं कि कंपनी अपना वृतिक तब तक आरंभ नहीं करेगी जब तक क्षेत्रीय [illegible] जैसे आरबीआई, सेबी आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

* मैं प्रवर्तकों एवं प्रथम निदेशकों की ओर से यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, निगमन के समय सभी प्रस्तावित कंपनियों को संबोधित सभी सूचनाओं तथा अधिसूचनाओं को प्राप्त करने और स्वीकारने के लिए सक्षम है और उन्हें इस प्ररूप की मद संख्या 4 में दिए गए पते में रखना आवश्यक है।

* मैं प्रस्तावित कंपनी के संगम अनुच्छेद में नामित सभी प्रथम निदेशकों की ओर से दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और निगमन के लिए इस समेकित आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना और इसके अनुलग्नक सही एवं पूर्ण हैं और इस प्ररूप से संबंधित किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है। सभी आवश्यक अनुलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही रूप में और स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है और वह संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में अंशदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेख के अनुसार है।

* मैं, प्रस्तावित निदेशकों, जिनके ब्यौरे डिन के आबंटन के लिए उपर्युक्त रूप में भरे गए हों, की ओर से इस बात की पुष्टि और घोषणा करता हूं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों जिसमें धारा 164 और 169 शामिल हैं, के तहत किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियंत्रित, अयोग्य या पृथक नहीं है और उन्हें किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य अदालत की तरफ से घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के तहत किसी निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आबंटन पहले से नहीं किया गया है और इसके अलावा मैं इस बात की घोषणा भी करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 449, धारा 450 और धारा 451 के साथ पठित धारा 154, धारा 155, धारा 447 और धारा 448 के उपबंधों को पढ़ा और समझा है।

* ,

---- सदस्य संख्या ---------- और/या अभ्यास संख्या के सबूत पत्र ---------- को [illegible] 7)1) (ख) के तहत घोषणा दी गई और ऐसी घोषणा को संलग्न किया गया।

टिप्पण: धारा 7(5) और धारा7(6) के उपबंधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें यह उपाबंध है कि किसी सूचना का मिथ्या या गलत ब्यौरा या किसी तात्विक सूचना को दबाने से धारा 447 के तहत कपट के लिए दंड मिल सकती है। धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या सबूतों के लिए क्रमश: दंड का उपाबंध है।

*निदेशक द्वारा अंकीय रूप में हस्ताक्षर किया जाना है। **डीएससी बॉक्स**

*डिन/पैन ----------

वृतिक द्वारा की गई घोषणा और प्रमाणन

मैं ----------, ---------- का सदस्य जिसका कार्यालय ---------- ---------- में स्थित है और जो कंपनी के गठन के लिप्त में लगा हुआ है, यह घोषणा करता हूं कि मैं इस प्ररूप के सबूतन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से लिप्त हूं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके नियमों को इस प्ररूप के अनुषंगी और इससे संबंधित मुद्दों के लिए पढ़ा है और ऊपर दिए ब्यौरों, जो इस प्ररूप की विषयवस्तु हैं, को आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलिखित के साथ सत्यापित किया है (अनुलग्नक शामिल हैं) और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की किसी सूचना को दबाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :

(i) प्रारूप ज्ञापन और संगम अनुच्छेद को धारा 4 और धारा 5 के उपबंधों और इसके नियमों के पुष्टि किया गया है; और

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अंतर्गत बने नियम, जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों को संकलित कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों को उचित रूप में तैयार कर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार रखा गया है और उन्हें क्रमबद्ध रूप में पाया गया है;

(iii) मैंने इस प्ररूप के सभी अनुलग्नकों को देखा है और इन्हें आवश्यकता के अनुसार पूर्ण और स्पष्ट पाया है;

(iv) मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने प्ररूप में दिए गए प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वैयक्तिक रूप से दौरा किया है और यह पाया है कि कंपनी का प्रस्तावि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

कंपनी के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए काम कर रहा है (प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के संबंध में, जहां लागू हो);

(v) यह समझ लिया है कि मैं गलत सबूतन, यदि किसी स्तर में पाया गया, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूं।

- *चार्टर्ड लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या
- *कंपनी सचिव (पूर्णकालिक सेवा) 0 अधिवक्ता --------

*कया सहयोगी या साथी है - सहयोगी - साथी

*सदस्य संख्या ----------

व्यवसाय संख्या का सबूत पत्र ----------

*आयकर पैन ----------

संशोधन प्ररूप देखें पूर्व जांच पेश करें

शासकीय उपयोग के लिए फाइल किए गए विवरण

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं.(एसआरएन) ------ ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख----- (दिदि/मम/वववव)

इस ई-प्ररूपको एतद्द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ---------- जमा पुष्ट करें

हस्ताक्षर की तारीख ---------- (तारीख/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या आईएनसी-30 [कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I (धारा 4 और धारा 5 देखें) के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	संगम ज्ञापन

प्ररूप भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी
प्ररूप को भरने के लिए निर्देश किट का अनुदेश लें।

***कंपनी उचित सारणी का चुनाव करें जो ---------- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अधीन अधिसूचित है। ----------**

<u>तालिका क</u> - शेयरो द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन

1. कंपनी का नाम "---------- लिमिटेड/प्रा.लि." है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------- राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-
 (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है और यह उत्तरदायित्व उनके द्वारा आयोजित शेयरों, यदि कोई हो, के अदत्त राशि के भुगतान तक सीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी ---------- रूपये है, जो ---------- रू. के ---------- शेयर में विभाजित है।
6. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी इच्छा चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या सहमत करते हैं:-

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और व्यवसाय	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, विवरणी और पेशा
------- वाणिक का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------
लिए गए शेयरों का कुल योग	----------		

7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और पेशा	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, विवरण और पेशा

8. श्री/श्रीमती---------- ,पुत्र/पुत्री, श्री---------- निवासी ---------- ---------- आयु ---------- वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

तारीख ---------- दिन ----------

कंपनी ख - शेयर पूंजी रहित और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

1. कंपनी का नाम "---------- लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड" है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------- राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं-

 (ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित है।
5. कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-

(i) सदस्यता के दौरान कंपनी के समापन के समय कंपनी की आस्ति में, या सदस्यता की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर कंपनी के ऋण और दायित्व के भुगतान के लिए, या सदस्यता की समाप्ति के पूर्व किसी ऋण या दायित्व में; और

(ii) समापन के लागत प्रभार और व्ययों में (और उनके बीच समायोजन के अधिकारों के संदाय के लिए), ऐसी रकम की अपेक्षा होगी जो ----------रू. से अधिक नहीं होगी।

6. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं।

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जिविका		अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जिविका
------ वाणिक का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में):-

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका		अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और पेशा
------ वाणिक का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

8. श्री/श्रीमती---------- ,पुत्र/पुत्री, श्री---------- निवासी ----------
---------- आयु ---------- वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

तारीख ---------- दिन ----------

सारणी ग - शेयर पूंजी वाली और प्रत्याभूति द्वारा कंपनी लिमिटेड कंपनी का संगम ज्ञापन। ।

1. कंपनी का नाम "---------- लिमिटेड/प्राईवेट लिमिटेड" है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------- राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-
 (ख) खंड 3(क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का दायित्व सीमित है।
5. कंपनी का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देने की जिम्मेदारी लेता है:-

IndiaCode

(i) सदस्यता के दौरान कंपनी के समापन के समय कंपनी की आस्ति में, या सदस्यता की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर कंपनी के ऋण और कर्ज के दायित्व के लिए, या सदस्यता की समाप्ति के पूर्व किसी ऋण या दायित्वों में; और

(ii) समापन के लागत प्रभार और व्ययों में (और उनके बीच योगदानकर्ता के अधिकारों के समायोजनों के लिए), ऐसी राशि की अपेक्षित होगी जो ----------रू. से अधिक नहीं होगी।

6. कंपनी की शेयर पूंजी ---------- रूपये है, जो ---------- रू. के ---------- शेयर में विभाजित है।

7. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या ग्रहण करते हैं:-

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जीविका
------- वणिक का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

8. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को करार करता हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, विवरण और जीविका
------- वणिक का ए.बी.	--------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

IndiaCode

1. श्री/श्रीमती ---------- ,पुत्र/पुत्री, श्री ----------

निवासी ---------- आयु ---------- वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी कें मामले में)

तारीख ---------- दिन ----------

सारणी घ - एक शेयर पूंजी रहित असीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

1. कंपनी का नाम "---------- कंपनी" है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------- राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-
 (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है।

5. हम कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं।

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जीविका
------- वणिक का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

6. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में):-

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए शेयरों की सं.	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जीविका
------- व्यापारी का ए.बी.	---------		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

IndiaCode

7. श्री/श्रीमती ---------- ,पुत्र/पुत्री, श्री ----------

निवासी ---------- आयु ---------- वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

तारीख ---------- दिन ----------

सारणी ड. - एक शेयर पूंजी वली और असीमित कंपनी का संगम ज्ञापन।

1. कंपनी का नाम "---------- कंपनी" है।
2. कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------- राज्य में स्थित होगा।
3. (क) कंपनी के निगमन होने पर कंपनी के मुख्य उद्देश्य हैं:-

 (ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे भेजे जाने के लिए आवश्यक मामले इस प्रकार हैं।
4. सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है।
5. कंपनी की शेयर पूंजी ---------- रूपये है, जो ---------- रू. के ---------- - शेयर में विभाजित है।
6. हम, कुछ लोग, जिनके नाम और पते अभिदत्त हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनना चाहते हैं और हम अपने संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी के शेयरों की संख्या करार करते हैं:-

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जीविका
------- वणिक का ए.बी.		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर ------

7. मैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है, इस संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक कंपनी बनाने का इच्छुक हूं और कंपनी की पूंजी के सभी शेयरों को ग्रहण करता हूं। (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

अंशदाता के नाम, पते, विवरण और जीविका	अंशदाता के हस्ताक्षर	साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम, पते, वर्णन और जीविका
------ वणिक का ए.बी.		मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया हस्ताक्षर --------

8. श्री/श्रीमती ---------- ,पुत्र/पुत्री, श्री ----------

निवासी ---------- आयु ---------- वर्ष, एकमात्र सदस्य की मृत्यु होने पर नामित होगा (एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में)

तारीख ---------- दिन ----------

IndiaCode

प्ररूप संख्या आईएनसी-31	**संगम अनुच्छेद**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I
(देखें धारा 4 और 5) के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा **0अंग्रेजी** **0हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निदेश देखें।

1.*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची I के अधीन यथा अधिसूचित कंपनी के लिए लागू समुचित सारणी चुनें

सारणी च- अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद		
अनुच्छेद सं.	**विवरण**	**लागू होना हां/नहीं**
	निवर्चन	
1.	(1) इन विनियमों में,- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है; (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है। (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	0 हां 0 नहीं
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	
II 1	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें, निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	निपटान कर सकेंगे।	
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात् आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित की जाए- (क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों) के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा (ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। (ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश (शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी निर्दिष्ट होगी। (iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त परिदान होगा।	0 हां 0 नहीं
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के पृष्ठाकंन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा। (ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	0 हां 0 नहीं
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए	0 हां 0 नहीं

	हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर), साम्याजात, समाश्रित, भावी या आगिक हित से, न उस अंश (शेयर) के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी।	
5	(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है। (ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी। (iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
6	(i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में (तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है) धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा। (ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	0 हां 0 नहीं

7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों को प्रदत्त अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	0 हां 0 नहीं
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश (शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के, जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	0 हां 0 नहीं
	धारणाधिकार	
9	(i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:- (क) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है] उस अश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा (ख) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों (शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है], उन सभी धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा तत्क्षण कंपनी को देय है: परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है। (ii) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई हो, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है: परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा- (क) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा (ख) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के	0 हां 0 नहीं

	तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों (शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। (ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। (iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों) पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	0 हां 0 नहीं
12	(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है, उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है। (ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान	
13	(i) बोर्ड ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों (शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों (शेयरों) के आबंटन की शर्तों में जो नियत समयों पर देय नहीं की गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगा: परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी। (ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा। (iii) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहृत या मुल्तवी किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं

14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किस्तों में चुकाया जाए।	0 हां 0 नहीं
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आह्वानों को चुकाने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	0 हां 0 नहीं
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड अवधारित करे, ब्याज देगा। (ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	0 हां 0 नहीं
17	(i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान है। (ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी किसी आह्वान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया गया और अधिसूचित किया गया था।	0 हां 0 नहीं
18	बोर्ड- (क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त कर सकेगा, तथा (ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न	0 हां 0 नहीं

	दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	0 हां 0 नहीं
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	0 हां 0 नहीं
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे: परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी। (ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ **संयुक्त धारण किया था**, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	0 हां 0 नहीं
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, या तो- (क) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का, या (ख) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा। (ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	0 हां 0 नहीं
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या भेजेगा। (ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश (शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा। (iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के	0 हां 0 नहीं

	अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर लेः परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता।	0 हां 0 नहीं
27	एक कंपनी की दशा में,- (i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा; (ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी; (iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था; (iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	0 हां 0 नहीं

	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात् बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर प्रोद्भूत हो गया हो।	0 हां 0 नहीं
29	पूर्वोक्त सूचना में- (क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील की तारीख से चौदह दिन के अवमान से पहले का नहीं); तथा (ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	0 हां 0 नहीं
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो वह अंश (शेयर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहृत किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
31	(i) कोई समपहृत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा व्ययनित किया जा सकेगा। (ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं, समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु समपहरण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने का दायित्व उस पर बना रहेगा। (ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा	0 हां 0 नहीं

	भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	
33	(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर) घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब **व्यक्तियों का प्रश्न** है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है, निश्चायक साक्ष्य होगी। (ii) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश (शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर) बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी। (iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा; और (iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन, यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर) के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता है।	0 हां 0 नहीं
34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय हो गई थी।	0 हां 0 नहीं
	पूंजी में परिवर्तन	
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।	0 हां 0 नहीं
36	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

समेकन और विभाजन कर सकेगी; (ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी; (घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।	
जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे; परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा; (ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांसों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता; (ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और "अंश (शेयर) धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक धारी" आएंगे।	0 हां 0 नहीं
कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि	0 हां 0 नहीं

	द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन रहते हुए,- (क) अपनी अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी; (ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा (ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।	
	लाभों का पूंजीकरण	
39	(i) कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश पर कर सकेगी कि- (क) यह वाछंनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा (ख) ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है. (ii) उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए- (अ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त किया जाएगा; (आ) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है; या (इ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा; (ई) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही किया जाएगा; (उ) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा।	0 हां 0 नहीं

40	(I) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब बोर्ड- (क) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्द्वारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा: तथा (ख) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा। (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह- (क) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा (ख) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; (iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	0 हां 0 नहीं
	- शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगी।	0 हां 0 नहीं
	साधारण अधिवेशन	
42	वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।	0 हां 0 नहीं
43	(i) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण	0 हां 0 नहीं

	अधिवेशन बुला सकेगा। (ii) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेंगे।	
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है। (ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।	0 हां 0 नहीं
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	0 हां 0 नहीं
46	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	0 हां 0 नहीं
47	यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	0 हां 0 नहीं
48	एक व्यक्ति की दशा में- (i) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जाती है:	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	(ii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (iii) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
	अधिवेशन का स्थगन	
49	(i) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है। (ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा। (iii) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है। (iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	0 हां 0 नहीं
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,- (क) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा (ख) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में हैं।	0 हां 0 नहीं
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	0 हां 0 नहीं
52	(i) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा। (ii) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	0 हां 0 नहीं

53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	0 हां 0 नहीं
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों (शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां उसने चुका दी हैं।	0 हां 0 नहीं
56	(i) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध होगा। (ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।	0 हां 0 नहीं
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है अन्यून अड़तालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	0 हां 0 नहीं
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105 के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	0 हां 0 नहीं
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व	0 हां 0 नहीं

India Code

मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है: परंतु वह तब जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।	
निदेशक बोर्ड	
निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।	0 हां 0 नहीं
(i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है। (ii) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने- (क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या (ख) कंपनी के कारबार के संबंध में, समुचित रूप से उपगत किए हैं।	0 हां 0 नहीं
कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।	0 हां 0 नहीं
सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें, यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा	0 हां 0 नहीं

	अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा निष्पादित की जाएंगी।	
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	0 हां 0 नहीं
66	(i) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु यह कि निदेशकों और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं हो। (ii) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	0 हां 0 नहीं
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(i) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है। (ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएंगे।	0 हां 0 नहीं
68	(i) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा। (ii) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	0 हां 0 नहीं
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक, जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो	0 हां 0 नहीं

	बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे।	
70	(i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है। (ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नही किया जाता है या किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
71	(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी समितियों को कर सकेगा। (ii) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	0 हां 0 नहीं
72	(i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर सकेगी। (ii) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
73	(i) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (ii) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।	0 हां 0 नहीं
74	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।	
75	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	0 हां 0 नहीं
76	एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (i) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी; (ii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएंगी; (iii) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	0 हां 0 नहीं
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी	
77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (i) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा। (ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य	0 हां 0 नहीं

	कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका दिया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	
	मुद्रा	
79	(i) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा। (ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	0 हां 0 नहीं
	लाभांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गई है।	0 हां 0 नहीं
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के आधार पर उसे न्यायसंगत प्रतीत हो।	0 हां 0 नहीं
82	(i) बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाभों में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाभों का समुचित रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे। (ii) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता	0 हां 0 नहीं

	है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे बिना अग्रनीत कर सकेगा।	
83	(i) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा सकेंगे और दिए जा सकेंगे। (ii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है। (iii) सभी लाभांश उन रकमो के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है। किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	0 हां 0 नहीं
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के अंशों (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	0 हां 0 नहीं
85	(i) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा। (ii) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह	0 हां 0 नहीं

उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश (शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	0 हां 0 नहीं
किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
लेखा	
(i) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। (ii) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न होते हुए भी) को, कंपनी के किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया है।	0 हां 0 नहीं
परिसमापन	
इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए: (i) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा; (ii) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गो के सदस्यों में कैसे किया जाएगा; (iii) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है,	0 हां 0 नहीं

	न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।	
	क्षतिपूर्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है। **टिप्पणः** अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर प्ररूप में होंगे। विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगेः- अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं — साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ) क,ख का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर ग,घ का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर ङ,च का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर छ,ज का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर झ,ञ का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर ट,ठ का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर ड,ढ का वणिक — मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं

तारीख मास 20

सारणी छ

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी है, के संगम-अनुच्छेद

1. जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सात होगी, किंतु जब कभी निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत कर लेगा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी च के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के असंगत निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।

IndiaCode

सारणी च- अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद		
अनुच्छेद सं.	**विवरण**	**लागू होना हां/नहीं**
	निवर्चन	
1.	(1) इन विनियमों में,- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है; (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है। (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	0 हां 0 नहीं
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	
II 1	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें,	0 हां 0 नहीं

	निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा निपटान कर सकेंगे।	
2	(i) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात् आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित की जाए- (ग) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों) के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा (घ) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। (ii) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमे वे अंश (शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी निर्दिष्ट होगी। (iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त परिदान होगा।	0 हां 0 नहीं
3	(i) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के पृष्ठांकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को उसक प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा। (ii) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर), साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर) के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी।	0 हां 0 नहीं
5	(i) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है। (ii) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी। (iii) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
6	(i) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है] धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा। (ii) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो	0 हां 0 नहीं

	व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	0 हां 0 नहीं
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश (शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति के, जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	0 हां 0 नहीं
	धारणाधिकार	
9	(i) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार, अर्थात्:- (ग) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है] उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा (घ) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों (शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है], उन सभी धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा तत्क्षण कंपनी को देय है: परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है। (ii) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई हो, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है: परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा- (ग) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा (घ) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है,	0 हां 0 नहीं

	कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह दिन का अवसान न हो गया हो।	
11	(i) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों (शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। (ii) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। (iii) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों) पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	0 हां 0 नहीं
12	(i) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है, उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है। (ii) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान	
13	(i) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों (शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों (शेयरों) के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगाः परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से अधिक नहीं होगा या ने अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी। (ii) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा। (iii) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहृत या मुल्तवी किया	0 हां 0 नहीं

	जा सकेगा।	
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किस्तों में चुकाया जाए।	0 हां 0 नहीं
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आह्वानों को चुकाने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	0 हां 0 नहीं
16	(i) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड अवधारित करे, ब्याज देगा। (ii) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	0 हां 0 नहीं
17	(i) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान है। (ii) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी किसी आह्वान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया गया और अधिसूचित किया गया था।	0 हां 0 नहीं
18	बोर्ड- (क) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त कर सकेगा,	0 हां 0 नहीं

	(ख) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।	
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(i) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (ii) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	0 हां 0 नहीं
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (क) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता, अथवा (ख) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (क) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ख) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (ग) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	0 हां 0 नहीं
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या	0 हां 0 नहीं

	जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे: परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंतालीस दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(i) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके नामनिर्देशितियों के सिवाय प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी। (ii) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	0 हां 0 नहीं
24	(i) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, या तो- (ग) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का, या (घ) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा। (ii) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	0 हां 0 नहीं
25	(i) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता है कि स्वयं मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या भेजेगा। (ii) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश	0 हां 0 नहीं

1942 GI/[illegible]—6A

(शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा। (iii) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	
जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर ले: परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता।	0 हां 0 नहीं
एक कंपनी की दशा में,- (i) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा; (ii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी; (iii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था;	0 हां 0 नहीं

	(iv) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात् बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर प्रोद्भूत हो गया हो।	0 हां 0 नहीं
29	पूर्वोक्त सूचना में- (क) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील की तारीख से चौदह दिन के अवसान से पहले का नहीं); तथा (ख) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	0 हां 0 नहीं
30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो वह अंश (शेयर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहृत किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
31	(i) कोई समपहृत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा व्ययनित किया जा सकेगा। (ii) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
32.	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं, समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु समपहरण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने	0 हां 0 नहीं

	का दायित्व उस पर बना रहेगा। (ii) ऐसे व्यक्ति का दायित्व उस दशा में और तब खत्म हो जाएगा जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	
33	(i) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर) घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब व्यक्तियों का प्रश्न है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते हैं, निश्चायक साक्ष्य होगी। (ii) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश (शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर) बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी। (iii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा; और (iv) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन, यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर) के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता है।	0 हां 0 नहीं
34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं वे ऐसी किसी धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय हो गई थी।	0 हां 0 नहीं
	पूंजी में परिवर्तन	
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।	0 हां 0 नहीं
36	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते	0 हां 0 नहीं

	हुए- (क) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में समेकन और विभाजन कर सकेगी; (ख) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (ग) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी; (घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।
37	जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (क) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना उन परिस्थितियों में सम्भव हो, अन्तरित कर सकेंगे; परंतु बोर्ड स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसे ही कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित रकम से, जिससे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा; (ख) स्टाक के धारकों को लाभांशों के, कंपनी के अधिवेशनों में मत देने के और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांसों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह रकम अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता; (ग) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और

	"अंश (शेयर) धारी" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाक धारी" आएंगे।	
38	कोई कंपनी विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंगति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन रहते हुए,- (क) अपनी अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी; (ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा (ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।	0 हां 0 नहीं
	लाभों का पूंजीकरण	
39	(i) कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश पर कर सकेगी कि- (क) यह वांछनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा (ख) ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाती है. (ii) उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए- (अ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत है तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त किया जाएगा; (आ) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है; या (इ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा; (ई) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही	0 हां 0 नहीं

	किया जाएगा; (3) बोर्ड इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा।	
40	(I) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब बोर्ड- (क) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्द्वारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा: तथा (ख) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा। (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह- (ग) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा (घ) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; (iii) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	0 हां 0 नहीं
	शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगी।	0 हां 0 नहीं

	साधारण अधिवेशन	
42	वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।	0 हां 0 नहीं
43	(iii) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा। (iv) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(iii) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कारबार करने के लिए अग्रसर होता है। (iv) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।	0 हां 0 नहीं
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	0 हां 0 नहीं
46	यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	0 हां 0 नहीं
47	यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	0 हां 0 नही
48	एक व्यक्ति की दशा में- (iv) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र	0 हां 0 नहीं

	सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जाती है: (v) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (vi) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	
	अधिवेशन का स्थगन	
49	(v) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है। (vi) किसी स्थगित अधिवेशन में उस कारबार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा। (vii) जबकि अधिवेशन तीस दिन तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है। (viii) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	0 हां 0 नहीं
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,- (ग) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा (घ) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में हैं।	0 हां 0 नहीं
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	0 हां 0 नहीं
52	(iii) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का	0 हां 0 नहीं

	अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा। (iv) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	0 हां 0 नहीं
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों (शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां उसने चुका दी हैं।	0 हां 0 नहीं
56	(iii) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए अधिमान्य होगा। (iv) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।	0 हां 0 नहीं
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है अन्यून 48 घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से अन्यून 24 घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	0 हां 0 नहीं
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105	0 हां 0 नहीं

	के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी दी गई है, अन्तरित कर दिए गए हैं: परंतु जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का उपयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।	0 हां 0 नहीं
	निदेशक बोर्ड	
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।	0 हां 0 नहीं
61	(iii) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है। (iv) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने- (ग) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या (घ) कंपनी के कारबार के संबंध में, समुचित रूप से उपगत किए हैं।	0 हां 0 नहीं
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
63	कपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं (उस धारा के उपबंधों के अध्यधीन) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।	0 हां 0 नहीं

64	सभी चैक, वचनबंध, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें, यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा निष्पादित की जाएंगी।	0 हां 0 नहीं
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर करेगा।	0 हां 0 नहीं
66	(iii) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं हो। (iv) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	0 हां 0 नहीं
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(iii) निदेशक बोर्ड कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है। (iv) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अभ्यपेक्षा पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएंगे।	0 हां 0 नहीं
68	(iii) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा। (iv) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	0 हां 0 नहीं
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक,	0 हां 0 नहीं

	जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे।	
70	(iii) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है। (iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नही किया जाता है या किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
71	(iii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी समितियों को कर सकेगा। (iv) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	0 हां 0 नहीं
72	(iii) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर सकेगी। (iv) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
73	(iii) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (iv) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों	0 हां 0 नहीं

	के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।	
74	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।	0 हां 0 नहीं
75	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	0 हां 0 नहीं
76	एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (iv) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएंगी; (v) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएंगी; (vi) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	0 हां 0 नहीं
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी	
77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (iii) बोर्ड द्वारा किसी कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा। (iv) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक,	0 हां 0 नहीं

	कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।	
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	0 हां 0 नहीं
	मुद्रा	
79	(iii) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा। (iv) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	0 हां 0 नहीं
	लाभांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गई है।	0 हां 0 नहीं
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	0 हां 0 नहीं
82	(iii) बोर्ड, किसी लाभांश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाभों में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाभों का समुचित रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो	0 हां 0 नहीं

	कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे। (iv) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे बिना अवनीत कर सकेगा।	
83	(iv) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा सकेंगे और दिए जा सकेंगे। (v) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है। (vi) सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है। किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उस निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	0 हां 0 नहीं
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के अंशों (शेयरों) के संबंध में आह्वान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	0 हां 0 नहीं
85	(iii) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पते पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में	0 हां 0 नहीं

	निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा। (iv) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश (शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
87	ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	0 हां 0 नहीं
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
	लेखा	
89	(iii) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। (iv) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न होते हुए भी) को, कंपनी के किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया है।	0 हां 0 नहीं
	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए:- (iv) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा; (v) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गों के सदस्यों में कैसे	0 हां 0 नहीं

42 GI/15—7A

	किया जाएगा; (vi) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है, न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।	
	क्षतिपूर्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरुद्ध कंपनी की आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है। टिप्पणः अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर प्ररूप में होंगे। विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगेः- अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ) क.ख. ग का वर्णिक मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	0 हां 0 नहीं

तारीख मास 20.....

स्थान

सारणी ज

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद

निर्वचन

	लागू होना
1. (1) इन विनियमों में..	हां/नहीं
(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपांतर मे हैं।	
सदस्य	
2. (1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सात होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।	हां/नहीं
2. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे।	हां/नहीं
साधारण अधिवेशन	
3. वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।	हां/नहीं
4. (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।	
(ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम उसी रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।	
साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां	हां/नहीं

IndiaCode

5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।

(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।

6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।

7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।

अधिवेशन का स्थगन

9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा मे करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।

(iii) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।

(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

IndiaCode

मताधिकार	हां/नहीं
10. हर सदस्य का एक मत होगा।	
11. यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	हां/नहीं
12.कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।	
13.(i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या स्थगित अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।	
(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।	हां/नहीं
14. जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो गया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहृत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:	
परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।	हां/नहीं
15. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा।	हां/नहीं
16. ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा।	हां/नहीं

निदेशक बोर्ड

17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे। हां/नहीं

18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है।

(ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-

(क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या

(ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं। हां/नहीं

बोर्ड की कार्यवाहियां

19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।

(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे। हां/नहीं

20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।

(ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे। हां/नहीं

IndiaCode

22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।

(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकेंगे। हां/नहीं

23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा।

(ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों। हां/नहीं

24. i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।

(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे। हां/नहीं

25. i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। हां/नहीं

(ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था। हां/नहीं

27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन-

(i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;

(ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक , कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

मुद्रा

30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।

(ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)

क.ख सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
ग,घ सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
ङ,च सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
छ,ज सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
झ,ञ सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
ट,ठ सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	
ड,ढ सब प्रविष्ट	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर	

IndiaCode

तारीख मास 20

स्थान

सारणी ज

अपरिसीमित कंपनी के संगम-अनुच्छेद

अनुच्छेद संख्या	वर्णन	लागू होना हां/नहीं
1	ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव करती है, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेंगे।	हां/नहीं
2	कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी ज के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।	हां/नहीं

सारणी घ- अंशों (शेयरों) द्वारा परिसीमित कंपनी का संगम अनुच्छेद

अनुच्छेद सं.	विवरण	लागू होना हां/नहीं
	निवर्चन	
1.	(1) इन विनियमों में,- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है; (ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है। (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में अंतर्विष्ट है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तर में हैं।	0 हां 0 नहीं
	अंश (शेयर) पूंजी और अधिकारों में फेरफार	
II 1	अधिनियम के उपबंधों और इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए कंपनी की पूंजी में अंश (शेयर) उन निदेशकों के नियंत्रणाधीन रहेंगे जो उनका या उनके किसी अंश (शेयर) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे अनुपात में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और किसी प्रीमियम पर या समान मूल्य पर और ऐसे समय पर जो वे समय-समय पर ठीक समझें, निर्गमन कर सकेंगे, उनका आबंटन कर सकेंगे या उनका अन्यथा निपटान कर सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
2	(iv) हर व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के रूप में प्रविष्ट है, ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ताओं की दशा में निगमन के पश्चात् आबंटन के पश्चात् दो मास के भीतर या अंतरण या संप्रेषण के रजिस्ट्रीकरण या संप्रेषण के लिए आवेदन के एक मास के भीतर या इतनी अन्य कालावधि के भीतर जैसी निर्गमन की शर्तों में उपबंधित की जाए- (क) किसी प्रभार का संदाय किए बिना; अपने सभी अंशों (शेयरों) के लिए एक प्रमाणपत्र; अथवा (ख) अनेक प्रमाणपत्र, जिनमें से हर एक उसके एक या एक से अधिक अंशों (शेयरों) के लिए होगा, प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात् हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रूपए देने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। (v) प्रत्येक प्रमाणपत्र पर मुद्रा लगी होगी और उसमें वे अंश (शेयर) जिनसे वह संबंधित है और उस मुद्दे समादत्त रकम भी	0 हां 0 नहीं

	निर्दिष्ट होगी। (vi) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त धृत किसी अंश (शेयर) या किन्हीं अंशों (शेयरों) की बाबत एक से अधिक प्रमाणपत्र देने के लिए कंपनी आबद्ध नहीं होगी और कई अंश (शेयर) धारियों में से किसी एक को अंश (शेयर) के लिए प्रमाणपत्र का परिदान ऐसे सभी धारकों को पर्याप्त परिदान होगा।	
3	(iii) यदि कोई अंश (शेयर) प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या फट जाता है या अंतरण के पृष्ठांकन के लिए पृष्ठ भाग पर और स्थान नहीं है तो कंपनी को उसके प्रस्तुत किए जाने पर तथा उसका अभ्यर्पण किए जाने पर उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो कंपनी के समाधानप्रद रूप में उसका सबूत दिए जाने पर और ऐसी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर जो कंपनी पर्याप्त समझती है, उसके बदले में एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र, हर प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपए के संदाय पर जारी किया जाएगा। (iv) अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों को लागू होंगे।	0 हां 0 नहीं
4	विधि द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, कंपनी किसी व्यक्ति को यह मान्यता न देगी कि वह किसी अंश (शेयर) को न्यास पर धृत किए हुए है, तथा किसी पूरे के पूरे अंश (शेयर) में उसके रजिस्ट्रीकृत धारक के आत्यन्तिक हित से बाध्य होने या उसे मान्यता देने के लिए विवश होने के सिवाय कंपनी न तो उस अंश (शेयर), साम्याजात, समाश्रित, भावी या भागिक हित से, न उस अंश (शेयर) के भाग के किसी हित से और न (केवल इन विनियमों में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अंश (शेयर) की बाबत किन्हीं अन्य अधिकारों से आबद्ध होगी और न उसकी (अपने को सूचना होने पर) भी उसे मान्यता देने के लिए किसी भी प्रकार से विवश होगी।	0 हां 0 नहीं
5	(iv) कोई कंपनी धारा 40 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जो कमीशन के दिए जाने के बारे में हैं परंतु यह तब जब कि संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कमीशन की दर प्रतिशत या रकम उस धारा और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से प्रकट कर दी गई है।	0 हां 0 नहीं

	(v) कमीशन की दर या रकम, धारा 40 की उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियम में विहित की गई दर या रकम से अधिक नहीं होगी। (vi) कमीशन नकद रकम देकर अथवा पूर्णतः या भागतः समादत्त अंशो (शेयरों) का आबंटन करके या भागतः एक प्रकार से और भागत दूसरे प्रकार से चुकाया जा सकेगा।	
6	(iii) यदि किसी भी समय अंश (शेयर) पूंजी विभिन्न वर्ग वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाती है तो किसी वर्ग से संलग्न अधिकारों में [तब के सिवाय जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों में अन्यथा उपबंधित है] धारा 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा भले ही कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो या नहीं, उस वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के तीन-चौथाई के धारकों की लिखित सम्मति से अथवा उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों के पृथक् अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की मंजूरी से किया जा सकेगा। (iv) साधारण अधिवेशन से संबंधित इन विनियमों के उपबंध ऐसे हर पृथक् अधिवेशन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे किंतु ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उन दो व्यक्तियों की होगी जो प्रश्नगत वर्ग वाले निर्गमित अंशों (शेयरों) के कम से कम एक-तिहाई को धारण किए हुए हैं।	0 हां 0 नहीं
7	अधिमानी या अन्य अधिकारों सहित निर्गमित किसी वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के धारकों को प्रदत्त् अधिकारों की बाबत तब के सिवाय, जब कि उस वर्ग वाले अंशों (शेयरों) के निर्गमन के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, यह न समझा जाएगा कि उनमें फेरफार ऐसे अतिरिक्त अंशों (शेयरों) के सृजन या निर्गमन से हो गया है जो तुलनात्मक दृष्टि से उनसे एक समान दर्जे के हैं।	0 हां 0 नहीं
8	धारा 55 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वैसे ही अधिमानी अंश (शेयर), साधारण संकल्प द्वारा मंजूरी दी जाने पर इन निबंधनों पर निर्गमित किए जा सकेंगे कि वे ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से, जैसी कंपनी अंशों (शेयरों) के निर्गमित किए जाने के पूर्व विशेष संकल्प द्वारा अवधारित करे, मोचनीय हैं।	0 हां 0 नहीं
	धारणाधिकार	
9	(iii) कंपनी का प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार :- (ङ) हर अंश (शेयर) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है]	

	उस अंश (शेयर) लेखे आहूत या नियत समय पर देय सब धनराशियों के लिए होगा (भले ही वे तत्क्षण देय हों या न हों); तथा (च) किसी एक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत बने हुए सभी अंशों (शेयरों) पर [जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है], उन सभी धनराशियों के लिए होगा जो उसके द्वारा या उसकी संपदा द्वारा तत्क्षण कंपनी को देय है: परंतु निदेशक बोर्ड, किसी भी समय, किसी अंश (शेयर) की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि उसे इस खंड के उपबंधों से पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है। (iv) अंश (शेयर) पर कंपनी के धारणाधिकार का विस्तार यदि कोई हो, उस अंश (शेयर) लेख देय सभी लाभांशों का होगा।	
10	कंपनी ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को, जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, ऐसी रीति से बेच सकेगी जैसा बोर्ड ठीक समझता है: परंतु कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा- (ङ) जब तक कि कोई राशि, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, तत्क्षण देय न हो; अथवा (च) जब तक वह रकम, जिसकी बाबत धारणाधिकार विद्यमान है, कथित करने वाली और उस रकम के उस भाग के, जो तत्क्षण देय है, चुकाए जाने की मांग करने वाली, लिखित सूचना उस अंश (शेयर) के तत्समय रजिस्ट्रीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवाले के कारण उस पर हक रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने के पश्चात् चौदह दिन का अवसान न हो गया हो।	0 हां 0 नहीं
11	(iv) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिए बोर्ड बेचे गए अंशों (शेयरों) को उनके क्रेता को अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। (v) क्रेता किसी ऐसे अंतरण में समाविष्ट अंशों (शेयरों) के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। (vi) क्रेता इस बात के लिए आबद्ध न होगा कि वह यह देखे कि क्रय धन का क्या उपयोजन किया जाता है और उन अंशों (शेयरों) पर कोई प्रभाव ऐसी किसी अनियमितता या अविधिमान्यता से पड़ेगा जो विक्रय कार्यवाहियों में हुई हैं।	0 हां 0 नहीं
12	(iii) कंपनी द्वारा विक्रय आगम प्राप्त किए जाएंगे और उनका उपयोजन उस रकम के जिसकी बाबत वह धारणाधिकार विद्यमान है, उतने भाग को चुकाने में किया जाएगा जो तत्क्षण देय है।	0 हां 0 नहीं

	(iv) यदि कुछ अवशिष्टि रहे तो वे राशि लेखे धारणाधिकार जो तत्क्षण देय नहीं है, ऐसे धारणाधिकार के अधीन रहते हुए, जो उन अंशों (शेयरों) पर विक्रय के पूर्व विद्यमान के, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो विक्रय की तारीख पर उन अंशों (शेयरों) का हकदार है।	
	अंशों (शेयरों) लेखे आह्वान	
13	(iv) बोर्ड, ऐसी किन्हीं धनराशियों विषयक आह्वान, जो चाहे अंशों (शेयरों के अभिहित मूल्य लेखे या प्रीमियम के तौर पर) उनके अंशों (शेयरों) के आबंटन की शर्तों से जो नियत समयों पर देय नहीं की गई है, सदस्यों से समय-समय पर कर सकेगा: परंतु कोई भी आह्वान अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य के चौथाई से अधिक नहीं होगा या न अंतिम पूर्ववर्ती आह्वान के चुकाने के लिए नियत तारीख से एक मास से कम समय में वह संदेय होगी। (v) हर सदस्य अपने अंशों (शेयरों) लेखे आहूत रकम उसके चुकाए जाने के समय या समयों तथा स्थान को विनिर्दिष्ट करने वाली चौदह दिन की सूचना मिल जाने की शर्त पूरी हो जाने पर, कंपनी को ऐसे विनिर्दिष्ट समय या समयों पर तथा स्थान पर चुका देगा। (vi) कोई आह्वान बोर्ड के विवेकानुसार प्रतिसंहृत या मुल्तवी किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
14	आह्वान की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस समय किया गया जब से आह्वान को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प पारित किया गया था तथा उसकी बाबत यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किस्तों में चुकाया जाए।	0 हां 0 नहीं
15	अंश (शेयर) के संयुक्त धारक, उस लेखे सभी आह्वानों को चुकाने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्व के अधीन होंगे।	0 हां 0 नहीं
16	(iii) यदि अंश (शेयर) लेखे आहूत नियत राशि उसे चुकाने के लिए नियत दिन के पूर्व या उस दिन को चुका नहीं दी जाती तो वह व्यक्ति, जिस द्वारा वह राशि शोध्य है, सके चुकाने के लिए नियत दिन से उसके वास्तव में चुकाए जाने के समय तक उस पर दस प्रतिशत की दर से या ऐसी नीची दर से, यदि कोई हो, जैसी बोर्ड अवधारित करे, ब्याज देगा। (iv) बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे ब्याज के दिए जाने का पूर्णतः या भागतः अधित्यजन कर दे।	0 हां 0 नहीं
17	(iii) अंश (शेयर) के निर्गमन के निबंधनों के अनुसार जो कोई	0 हां 0 नहीं

	राशि उस अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य, लेखे अथवा प्रीमियम के रूप में आबंटन पर या नियत तारीख को देय हो जाती है उसकी बाबत इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को सम्यक् रूप से किया गया तथा संदेय है जिसकों ऐसी राशि निर्गमन के निबंधनों के अनुसार देय हो जाती है, देय आह्वान है। (iv) ऐसी राशि के न चुकाए जाने की दशा में, इन विनियमों के वे सभी सुसंगत उपबंध, जो ब्याज और व्यय के चुकाए जाने के बारे में या अन्य बातों के बारे में हैं ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी राशि ऐसी किसी आह्वान के आधार पर देय हो गी है जो सम्यक् रूप से किया गया और अधिसूचित किया गया था।	
18	बोर्ड- (ग) उस दशा में, जिसमें वह यह करना ठीक समझता है, वह पूरी धनराशि, जो उन अंशों (शेयरों) लेखे अनाहूत और असमादत्त धनराशि है, जो उस सदस्य द्वारा धृत है जो अग्रिम रूप से वह राशि चुका देने का इच्छुक है, या उसका कोई भाग उस समय सदस्य से प्राप्त कर सकेगा, तथा (घ) ऐसे अग्रिम रूप से दी गई सब धनराशियों या उनमें से किन्हीं पर ब्याज (उस दशा के सिवाय, जिसमें कि यदि अग्रिम रूप से वे न दी गई होतीं तो वे तत्क्षण देय हो गई होती) बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष से तब के सिवाय जबकि कंपनी ने साधारण अधिवेशन में अन्यथा निर्दिष्ट किया हो अधिक न होने वाली ऐसी दर से देगा जैसी बोर्ड और उस सदस्य के जो वह राशि अग्रिम रूप से दे रहा है, बीच करार पाई जाए।	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) का अंतरण	
19	(iii) कंपनी के किसी अंश (शेयर) के अंतरण की लिखत अंतरक और अंतरिती द्वारा या उन दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी। (iv) अंतरक की बाबत यह समझा जाएगा कि जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में उस अंश (शेयर) की बाबत प्रविष्ट नहीं कर दिया जाता वह उस अंश (शेयर) का धारक बना रहता है।	0 हां 0 नहीं
20	बोर्ड, धारा 58 द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए,- (ग) ऐसी किसी अंश (शेयर) का, जो पूर्णतः समादत्त अंश (शेयर) नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को किया गया अंतरण, जिसे वह ठीक नहीं समझता है, अथवा	0 हां 0 नहीं

	(घ) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) का अंतरण जिन पर कंपनी का धारणाधिकार है, रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा।	
21	बोर्ड, किसी अंतरण लिखत को, मान्यता देने से इंकार तब के सिवाय कर सकेगा जबकि- (घ) अंतरण लिखत धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के यथा विहित प्ररूप में है; (ङ) अंतरण लिखत के साथ उन अंशों (शेयरों) का, जिनसे वह संबंधित है, प्रमाणपत्र है और ऐसा अन्य साक्ष्य है, जैसा अंतरक का वह अधिकार दर्शित करने के लिए बोर्ड अपेक्षित करे जो वह अंतरण करने का उसका है; तथा (च) अंतरण लिखत अंशों (शेयरों) के केवल एक वर्ग की बाबत है।	0 हां 0 नहीं
22	धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देकर अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय पर और ऐसी कालावधियों के लिए निलंबित किया जा सकेगा जैसे या जैसी बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे: परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक के लिए और किसी एक वर्ष में कुल मिलाकर पैंसालीस दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा।	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों का परेषण)	
23	(iii) किसी सदस्य की मृत्यु पर, उस दशा में, जिसमें कि वह सदस्य संयुक्त धारक था उत्तरजीवी हो तथा उस दशा में, जिसमें कि वह एकमात्र धारक और उसका नामनिर्देशिति या उसके नामनिर्देशितियों के विधिक प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन अंशों (शेयरों) में के उसके हित पर हक रखने वालों के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता दी जाएगी। (iv) खंड (i) में की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपदा को ऐसे किसी अंश (शेयर) की बाबत, जिसे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त धारण किया था, किसी दायित्व से निर्मुक्त नहीं करेगी।	0 हां 0 नहीं
24	(iii) सदस्य की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार होता है वह ऐसे साक्ष्य के पेश किए जाने पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित किया जाए, तथा यहां के पश्चात् इसमें यथा उपबंधित के	0 हां 0 नहीं

	अधीन रहते हुए, या तो- (ङ) अंश (शेयर) के धारक के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत कराने का, या (च) अंश (शेयर) का ऐसा अंतरण करने का जैसा मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था, निर्वाचन कर सकेगा। (iv) बोर्ड को इन दोनों दशाओं में से हर दशा में, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का या उसे निलम्बित करने का वैसा अधिकार होगा जैसा यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु से या दिवाले के पूर्व अंश (शेयर) अंतरित कर दिया होता तो बोर्ड का होता।	
25	(iv) यदि वह व्यक्ति, जो ऐसे हकदार होता है, वह निर्वाचन करता है कि स्वंय मुझे ही अंश (शेयर) धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए तो वह कंपनी को स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना, जिसमें यह कथन होगा कि मैंने यह निर्वाचन किया है, परिदत्त करेगा या भेजेगा। (v) यदि पूर्वोक्त व्यक्ति अंश (शेयर) का अंतरण करने का निर्वाचन करता है तो वह अपने निर्वाचन के साक्ष्य स्वरूप अंश (शेयर) का अंतरण निष्पादित करेगा। (vi) इन विनियमों को वे सभी परिसीमाएं, निर्बंधन और उपबंध, जो अंशों (शेयरों) के अंतरण के अधिकार तथा अंशों (शेयरों) के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है, ऐसी सूचना या अंतरण पर, जो पूर्वोक्त है, ऐसे लागू होंगे मानो सदस्य की मृत्यु न हुई हो या उसका दिवाला न निकला हो तथा वह सूचना या अंतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अंतरण हो।	0 हां 0 नहीं
26	जो कोई व्यक्ति किसी अंश (शेयर) का हकदार उसके धारक की मृत्यु होने या दिवाला निकलने के करण हो जाता है वह उन्हीं लाभांशों और अन्य फायदों का हकदार, जिनका वह उस दशा में हकदार होता जिसमें कि वह, उस अंश (शेयर) का रजिस्ट्रीकृत धारक होता, इतने के सिवाय होगा कि वह अंश (शेयर) की बाबत सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व, इस बात का हकदार न होगा कि कंपनी के अधिवेशनों के संबंध में जो कोई अधिकार सदस्यता के कारण प्रदत्त होता है उसका वह प्रयोग कर ले: परंतु बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसे किसी भी समय दे सकेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अंश (शेयर) को अंतरित करने में से किसी एक का निर्वाचन करें तथा यदि	0 हां 0 नहीं

indiacode

	उक्त सूचना का नब्बे दिन के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता तो तत्पश्चात् बोर्ड अंश (शेयर) की बाबत देय सभी लाभांश बोनस या अन्य धनराशियों का दिया जाना तब तक के लिए विधारित कर सकेगा जब तक कि सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता।	
27	एक कंपनी की दशा में,- (v) एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, ऐसे सदस्य द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति कंपनी द्वारा ऐसा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा जिसके पास सदस्य के सभी अंशों (शेयरों) का हक होगा; (vi) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे अंशों (शेयरों) के लिए हकदार हो जाने पर नामनिर्देशिती को कंपनी बोर्ड द्वारा ऐसी घटना की सूचना दी जाएगी; (vii) ऐसा नामनिर्देशिती उन्हीं लाभांशों और अन्य अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा जिनके लिए कंपनी का ऐसा एकमात्र सदस्य हकदार था या दायी था; (viii) सदस्य बन जाने पर, ऐसा नामनिर्देशिती ऐसे व्यक्ति की पूर्व लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिति करेगा जो सदस्य की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बन जाएगा।	0 हां 0 नहीं
	अंशों (शेयरों) का समपहरण	
28	यदि कोई सदस्य, किसी आह्वान या आह्वान की किस्त उसके दिए जाने के लिए नियत दिन को देने में असफल रहता है तो तत्पश्चात् बोर्ड, ऐसे समय के दौरान, जितने समय तक आह्वान या किस्त का भाग दिया नहीं गया है, किसी भी समय उस पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि आह्वान या उसका उतना भाग जितना दिया नहीं है, ऐसे किसी ब्याज सहित दे जो उस पर प्रोद्भूत हो गया हो।	0 हां 0 नहीं
29	पूर्वोक्त सूचना में- (ग) उस दिन या उससे पहले का दिन जिसको सूचना द्वारा अपेक्षित संदाय किया जाना है के बाद का दिन (सूचना की तामील की तारीख से चौदह दिन से पहले का नहीं); तथा (घ) यह कथन किया हुआ होगा कि ऐसे नियत दिन को या उसके पूर्व धनराशि न दिए जाने की दशा में, वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत यह आह्वान किया गया था, समपहरणीय होंगे।	0 हां 0 नहीं

30	यदि पूर्वोक्त जैसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो वह अंश (शेयर), जिसकी बाबत सूचना दी गई है, बोर्ड के उस प्रभाव के संकल्प द्वारा, तत्पश्चात् किसी भी समय, किंतु सूचना द्वारा अपेक्षित धनराशि के दिए जाने के पूर्व समपहृत किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
31	(iii) कोई समपहृत अंश (शेयर) ऐसे निबंधनों पर और ऐसी रीति से जिन्हें या जिसे बोर्ड ठीक समझता है, बेचा जा सकेगा या अन्यथा व्ययनित किया जा सकेगा। (iv) पूर्वोक्त विक्रय या व्ययन के पूर्व, किसी भी समय, बोर्ड उस समपहरण को ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझता है, रद्द कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
32	(i) कोई व्यक्ति, जिसके अंश (शेयर) समपहृत कर लिए गए हैं, समपहृत अंशों (शेयरों) की बाबत सदस्य नहीं रह जाएगा, किंतु समपहरण के होते हुए भी कंपनी को दे सभी धनराशियां, जो समपहरण के दिन उसके द्वारा कंपनी को अंश (शेयर) लेख तत्क्षण देय थीं, देने का दायित्व उस पर बना रहेगा। (ii) ऐसे व्यक्ति का दायी उस दशा में और तब समाप्त हो जाएगा जिसमें कि और जब अंशों (शेयरों) लेखे सब धनराशियों का पूरा भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया होगा।	0 हां 0 नहीं
33	(v) सम्यक् रूप से सत्यापित यह लिखित घोषणा कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, या सचिव है और कंपनी का अंश (शेयर) घोषणा में कथित तारीख को सम्यक् रूप से समपहृत कर लिया गया है उसमें कथित तथ्यों का वहां तक, जहां तक कि उन सब **व्यक्तियों का प्रश्न** है जो उस अंश (शेयर) का हकदार होने का दावा करते है, निश्चायक साक्ष्य होगी। (vi) कंपनी वह प्रतिफल यदि कोई हो, प्राप्त कर सकेगी जो अंश (शेयर) के विक्रय या व्ययन पर उसके लिए दिया गया है और उस अंश (शेयर) का अन्तरण उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे अंश (शेयर) बेचा गया है या व्ययनित किया गया है, निष्पादित कर सकेगी। (vii) अन्तरिती तदुपरि अंश (शेयर) धारक के रूप में किया जाएगा; और (viii) अन्तरिती न तो यह देखने के लिए आबद्ध होगा कि क्रयधन, यदि कोई है, का क्या उपयोजन किया गया है और न ही अंश (शेयर) के समपहरण, विक्रय या व्ययन संबंधी कार्यवाहियों में की हुई किसी	0 हां 0 नहीं

	अनियमितता या अविधिमान्यता का उसके हक पर कोई प्रभाव पड़ता है।	
34	समपहरण विषयक जो उपबन्ध इन विनियमों के हैं, वे ऐसी किसी धनराशि के न दिए जाने के संबंध में, जो निर्गमन के निबन्धनों के आधार पर चाहे अंश (शेयर) के अभिहित मूल्य लेखे चाहे प्रीमियम के रूप में नियत तारीख को देय हो जाती है, ऐसे लागू होंगे मानो वह सम्यक् रूप से किए गए और अधिसूचित आह्वान के आधार पर देय हो गई थी।	0 हां 0 नहीं
	पूंजी में परिवर्तन	
35.	कंपनी इतनी रकम वाले अंशों (शेयरों) में विभाजित की जाने वाली इतनी राशि की वृद्धि अपनी अंश (शेयर) पूंजी में समय-समय पर साधारण संकल्प द्वारा कर सकेगी जितनी उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हो।	0 हां 0 नहीं
36	कंपनी साधारण संकल्प द्वारा धारा 61 के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (ङ) अपनी पूरी अंश (शेयर) पूंजी या उसके किसी भाग का अपने विद्यमान अंशों (शेयरों) की रकम से बड़ी रकम के अंशों (शेयरों) में सामेकन और विभाजन कर सकेगी; (च) अपने सभी या उनमें से किन्हीं समादत्त अंशों (शेयरों) स्टाक में संपरिवर्तित कर सकेगी और किसी भी मूल्य के पूर्णतः समादत्त अंशों (शेयरों) में उस स्टाक को पुनः संपरिवर्तित कर सकेगी; (छ) अपने सब विद्यमान अंशों (शेयरों) को या उन में से किसी को उस रकम वाले अंशों (शेयरों) में, जो ज्ञापन द्वारा नियत रकम से कम है, उपविभाजित कर सकेगी; (ज) ऐसे किन्हीं अंशों (शेयरों) को जो संकल्प के पारित किए जाने की तारीख के समय किसी व्यक्ति द्वारा न तो लिए गए हैं और न जिनके लिए जाने के लिए करार ही हुआ है, रद्द कर सकेगी।	0 हां 0 नहीं
37	जहां अंश (शेयर) स्टाक में संपरिवर्तित किए जाते हैं वहां- (ग) स्टाक के धारक उसे या उसके किसी भाग को वैसी ही रीति से और वैसे ही विनियमों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे अंश (शेयर) जिनसे वह स्टाक उद्भूत हुआ है, उस संपरिवर्तन के पूर्व अन्तरित किए जा सकते थे, अथवा उस या उनसे इतनी मिलती-जुलती रीति से और इतने मिलते-जुलते विनियमों के अधीन जितना	0 हां 0 नहीं

(क) प्रतिभूति प्रीमियम के सम्बन्ध हो, अन्तरित कर सकेंगे;	
(ख) कोई स्टाक की न्यूनतम रकम समय-समय पर नियत कर सकेगा किंतु ऐसा है कि ऐसा न्यूनतम उन अंशों (शेयरों) की अभिहित मूल्य से, जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ था, अधिक नहीं होगा;	
(ग) स्टाक के धारकों को लाभांशों पर कंपनी के अधिवेशनों में मत देने और अन्य विषयों के बारे में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और फायदे अपने द्वारा धृत स्टाक की रकम के अनुसार ऐसे प्राप्त होंगे मानो वे उन अंशों (शेयरों) को धृत किए हों जिनसे स्टाक उद्भूत हुआ है, किंतु (कंपनी के लाभांशों और लाभों में तथा परिसमापन पर उसकी आस्तियों में भाग लेने के सिवाय) ऐसा कोई विशेषाधिकार या फायदा स्टाक की ऐसी रकम के कारण प्रदत्त न हो जाएगा जो यदि वह स्टाक उन अंशों (शेयरों) में विद्यमान होती तो उसके कारण सा विशेषाधिकार या फायदा प्रदत्त नहीं हो सकता;	
(घ) कंपनी के ऐसे विनियम जो समादत्त अंशों (शेयरों) को लागू होते हैं, स्टाक को लागू होंगे और उन विनियमों में "अंश (शेयर)" और "अंशधारक (शेयरधारक)" शब्दों के अन्तर्गत क्रमशः "स्टाक" और "स्टाकधारक" होगा।	
(2) कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा, किसी भी प्रकार से और विधि न्यायालय के किसी अनुमति के और अपेक्षित सम्मति के अधीन रहते हुए,	0 हां 0 नहीं
(क) अपने अंश (शेयर) पूंजी कम कर सकेगी;	
(ख) अपनी अंशदत्त आरक्षित निधि कम कर सकेगी; अथवा	
(ग) किसी अंश (शेयर) प्रीमियम खाते में कमी कर सकेगी।	
लाभों का पूंजीकरण	
(1) कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की संकल्प पर कर सकेगी कि	0 हां 0 नहीं
(क) यह समीचीन है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ-हानि खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा	
(ख) ऐसी राशि तदनुसार खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से उन व्यक्तियों को दी जाए, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह लाभांश के रूप में वितरित की जाती है और उसी अनुपात में उनके बीच उसे लागू करने के लिए मुक्त कर दी जाती है.	
(ग) उपयोजित राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोजन	

	खंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए- (ऊ) उन अंशों (शेयरों) लेखे जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत हैं तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकमें देने में या देने के निमित्त किया जाएगा; (ऋ) कंपनी के अनिर्गमित अंशों (शेयरों) लेखे पूर्णतः समादत्त करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आबंटन या वितरण ऐसे सदस्यों की और उनके बीच में पूर्वोक्त अनुपात में किया जाता है; या (ऌ) भागतः उपखंड (अ) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड (आ) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा; (ॅ) प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षिति खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजन अनिर्गमित ऐसे अंशों (शेयरों) लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में ही किया जाएगा; (ॆ) बोर्ड, इस विनियम के अनुसरण में कंपनी द्वारा पारित संकल्प को प्रभावी करेगा।	
40	(II) जब कभी यथापूर्वोक्त संकल्प पारित कर दिया गया हो तब बोर्ड- (ग) उन अविभाजित लाभों का पूर्ण विनियोजन और उपयोजन करेगा जिनके पूंजीकरण के लिए तद्द्वारा संकल्प किया गया है तथा पूर्णतः समाप्त अंशों (शेयरों) के, यदि कोई हों, सब आबंटन और निर्गमन करेगा; तथा (घ) उसको प्रभावशील करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें साधारणतः करेगा। (ii) बोर्ड को यह पूरी शक्ति प्राप्त होगी कि वह- (ङ) अंशों (शेयरों) के भागों में वितरणीय होने की दशा में के लिए ऐसा उपबंध भागपरक प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा या नकदी में संदाय द्वारा या अन्यथा करे जैसा वह ठीक समझता है; तथा (च) किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे कि उसके हकदार सब सदस्यों की ओर से कंपनी से यह उपबंध करने वाला करार वह कर ले कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वे जिन किन्हीं अतिरिक्त अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों के हकदार हों वे उन अंशों (शेयरों) को यह दिखाया जाकर	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	कि उन पर पूरी रकम समादत्त कर दी जाने पर जमा कर दी गई है वे अंश (शेयर) उनको आबंटित कर दिए जाएं अथवा मामले से जैसा भी अपेक्षित हो, उनके विद्यमान अंशों (शेयरों) लेखे जो रकमें या रकम के भाग असमादत्त रह गए हैं वे उन लाभों को, जिनका पूंजीकरण करने का संकल्प किया गया है, उन लेखे उपयोजन करके कंपनी द्वारा उनकी ओर से समादत्त कर दी या कर दिए जाएं; (vi) ऐसे प्राधिकार के अधीन किया गया कोई करार प्रभावी और ऐसे सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा।	
	शेयरों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना	
41	इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, परन्तु धारा 68 से धारा 70 के उपबंधों के तथा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के लागू किसी अन्य उपबंध या विधि के अधीन रहते हुए कंपनी अपने अंशों (शेयरों) या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेगी।	0 हां 0 नहीं
	साधारण अधिवेशन	
42	वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न, सभी साधारण अधिवेशनों को असामान्य साधारण अधिवेशन कहा जाएगा।	0 हां 0 नहीं
43	(v) जब कभी बोर्ड यह करना ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा। (vi) यदि कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक किसी समय भारत में नहीं है जो गणपूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त संख्या हो तो कंपनी का कोई निदेशक या कंपनी के कोई दो सदस्य यथासम्भव निकटतम वैसी ही रीति से, जिससे बोर्ड द्वारा ऐसा अधिवेशन बुलाया जा सकता है, असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
	साधारण अधिवेशन में कार्यवाहियां	
44	(v) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति उस समय पर उपस्थित नहीं है जब अधिवेशन वास्तविक कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है। (vi) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय सामान्य अधिवेशन के लिए गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में किए गए उपबंध के अनुसार होगी।	0 हां 0 नहीं
45	बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में	0 हां 0 नहीं

अध्यक्ष के रूप में पीठासीन होगा।	
यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या यदि वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं होता है या यदि वह अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चयन करेंगे।	0 हां 0 नहीं
यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामन्द नहीं है या उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पन्द्रह मिनट के अन्दर कोई निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति होने के लिए चयन करेंगे।	0 हां 0 नहीं
एक व्यक्ति की दशा में- (vii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने वाला संकल्प तब पारित कर दिया समझा जाएगा जब संकल्प पर एक मात्र सदस्य सहमत हो जाता है और कंपनी को संसूचित कर दिया जाता है तथा धारा 118 के अधीन रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में प्रविष्टि कर दी जाती है: (viii) ऐसी कार्यवृत्त पुस्तिका सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (ix) संकल्प एक मात्र सदस्य द्वारा ऐसा कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।	0 हां 0 नहीं
अधिवेशन का स्थगन	
(ix) अध्यक्ष, समय-समय पर, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा में करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है। (x) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया जिससे स्थगन हुआ था, कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा। (xi) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है। (xii) यथापूर्वोक्त के सिवाय और अधिनियम की धारा 103 में यथा	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	उपबंधित किसी स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले कामकाज की कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।	
	मतदान अधिकार	
50	किसी वर्ग या वर्गों के अंशों (शेयरों) से तत्समय संलग्न किन्हीं अधिकारों के या निबन्धनों के अधीन रहते हुए,- (ङ) हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में हर सदस्य का, जो स्वयं उपस्थित है, एक मत होगा; तथा (घ) मतांकन में सदस्यों के मत देने के अधिकार ऐसे होंगे जो कंपनी की समादत्त अंश (शेयर) पूंजी में उसके अंश के अनुपात में हैं।	0 हां 0 नहीं
51	कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधन से बैठक में अपने मत का प्रयोग कर सकेगा और मत केवल एक बार डालेगा।	0 हां 0 नहीं
52	(v) संयुक्त धारकों की दशा में ज्येष्ठ का मत जिसने चाहे स्वयं या परोक्षी द्वारा मत दिया है, अन्य संयुक्त धारकों के मतों का अपवर्जन करके, प्रतिगृहीत किया जाएगा। (vi) इस प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में नाम हैं।	0 हां 0 नहीं
53	ऐसा कोई सदस्य जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने जिसे विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में और मतांकन में अपने पालक या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा और ऐसा पालक या संरक्षक मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
54	ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार जिस पर मतदान की मांग की गई है, मतदान होने तक कार्यवाही की जा सकेगी।	0 हां 0 नहीं
55	कोई भी सदस्य इस बात का कि वह किसी साधारण अधिवेशन में मत देने का हकदार तब के सिवाय नहीं होगा जबकि कंपनी के अंशों (शेयरों) की बाबत अपने द्वारा तत्क्षण देय सभी आह्वान या राशियां उसने चुका दी हैं।	0 हां 0 नहीं
56	(v) किसी मतदाता की अर्हता के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा सिवाय उस बैठक या स्थगित बैठक जिसमें आपेक्षित कर दिया गया है या निविदत्त किया गया है और ऐसी बैठक में अननुज्ञात नहीं किया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए वैध होगा।	0 हां 0 नहीं

	(vi) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के सभापति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।	
	परोक्षी	
57	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत तथा वह मुखतारनामा या अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित की गई है या उस शक्ति या अधिकार की नोटेरीकृत प्रति उस समय से, जब वह अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन योजित होना है जिसमें वह व्यक्ति जिसका नाम लिखत में दिया हुआ है मत देने की प्रस्थापना करता है अन्यून अड़तालीस घण्टे पूर्व अथवा मतांकन की दशा में मतांकन के लिए नियत समय से अन्यून चौबीस घण्टे पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निक्षिप्त की जाएगी, ऐसा करने में व्यतिक्रम की दशा में परोक्षी लिखत विधिमान्य नहीं मानी जाएगी।	0 हां 0 नहीं
58	परोक्षी नियुक्त करने वाली लिखत उस प्ररूप में होगी जो धारा 105 के अधीन बनाए गए नियमों में विहित है।	0 हां 0 नहीं
59	जो मत परोक्षी लिखत के निबंधनों के अनुसार दिया गया है वह इस बात के होते भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वाला की तत्पूर्व मृत्यु हो गई है या उन्मादी हो गया है या परोक्षी लिखत अथवा वह अधिकार, जिसके अधीन परोक्षी लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहरण कर दिया गया है या वे अंश (शेयर) जिनकी बाबत परोक्षी दी गई है, अन्तरित कर दिए गए है: परंतु वह तब जब कि वह ऐसी मृत्यु, उन्माद, प्रतिसंहरण या अन्तरण की लिखित प्रज्ञापना अधिवेशन या स्थगित अधिवेशन जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, प्रारंभ होने से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो।	0 हां 0 नहीं
	निदेशक बोर्ड	
60	निदेशकों की संख्या और पहले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।	0 हां 0 नहीं
61	(v) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है। (vi) इस अधिनियम के अनुसरण में उनको देय पारिश्रमिक के	0 हां 0 नहीं

	अतिरिक्त निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने- (ङ) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या (च) कंपनी के कारबार के संबंध में, समुचित रूप से उपगत किए हैं।	
62	कंपनी के बनाए जाने में और उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने में उपगत सभी व्ययों का संदाय बोर्ड कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
63	कंपनी विदेशी रजिस्टर रखने की बाबत धारा 88 द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और बोर्ड उन धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा या उनमें ऐसे फेरफार कर सकेगा जैसे वह ऐसे रजिस्टर के रख जाने की बाबत ठीक समझे।	0 हां 0 नहीं
64	सभी चैक, वचनपत्र, ड्राफ्ट, हुण्डियां, विनिमय-पत्र और अन्य परक्राम्य लिखतें और कंपनी को दी गई धनराशियों संबंधी सभी रसीदें, यथास्थिति, कंपनी के अभिकर्ता या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा अथवा वहां जहां कि कोई प्रबंधन अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से जैसी बोर्ड समय-समय पर संकल्प द्वारा अवधारित करे हस्ताक्षरित की जाएगी, लिखी जाएंगी, प्रतिगृहीत की जाएंगी, पृष्ठांकित की जाएंगी या अन्यथा निष्पादित की जाएंगी।	0 हां 0 नहीं
65	बोर्ड के या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हर निदेशक उस प्रयोजन से रखी गई किताब में अपने हस्ताक्षर करेगा।	0 हां 0 नहीं
66	(v) धारा 149 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी समय और समय-समय पर किसी व्यक्ति को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त कर दें, परन्तु निदेशकों और अपर निदेशकों की कुल मिलाकर संख्या अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड के लिए नियत की गई अधिकतम संख्या से किसी भी समय पर अधिक नहीं हो। (vi) ऐसा व्यक्ति केवल कंपनी के आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन तक पद धारण करेगा किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह उस अधिवेशन में कंपनी द्वारा वह निदेशक के	0 हां 0 नहीं

IndiaCode

	रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।	
	बोर्ड की कार्यवाहियां	
67	(v) निदेशक बोर्ड कारबार के संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को ऐसे स्थगित या अन्यथा ऐसे विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है। (vi) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और प्रबंधक या सचिव निदेशक की अध्यपेक्षा पर बोर्ड का अधिवेशन बुलाएंगे।	0 हां 0 नहीं
68	(v) अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्यच मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा। (vi) मतों के बराबर होने की दशा में बोर्ड के सभापति का, यदि कोई हो, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।	0 हां 0 नहीं
69	इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है वे निदेशक, जो बने रहते हैं, कार्य कर सकेंगे, किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति के कम हो जाती है तो और तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है, या बने रहते हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए, जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए तो कार्य कर सकेंगे किन्तु अन्य किसी प्रयोजन के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
70	(v) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए सभापति का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है। (vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नही किया जाता है या किसी अधिवेशन में सभापति उस समय के पश्चात् भी जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, पांच मिनट के अन्दर उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
71	(v) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों से, जिन्हें बोर्ड ठीक समझता है, मिल कर बनी समितियों को कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं

	(vi) ऐसे बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हो।	
	(v) समिति अपने अधिवेशनों के लिए सभापति निर्वाचित कर सकेगी। (vi) यदि ऐसा कोई सभापति निर्वाचित नहीं किया गया है, यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन करने के लिए नियत है पांच मिनट के अन्दर सभापति उपस्थित नहीं हो जाता तो उपस्थित सदस्य अपनी संख्या में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुन सकेंगे।	0 हां 0 नहीं
	(v) समिति जैसा भी उपयुक्त समझे अधिविष्ट हो सकेगी और अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी। (vi) समिति के किसी अधिवेशन में पैदा होने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में सभापति की द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।	0 हां 0 नहीं
	वे सब कार्य जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए है तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी कि ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप में से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निरर्ह था ऐसे विधिमान्य होंगे मानो ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था।	0 हां 0 नहीं
	अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, वह लिखित संकल्प जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार है, हस्ताक्षर कर दिए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।	0 हां 0 नहीं
	एक व्यक्ति कंपनी की दशा में- (vii) जहां कंपनी में केवल एक निदेशक है वहां बोर्ड के अधिवेशन में किए जाने वाले सभी कारबारों की प्रविष्टि धारा 118 के अधीन	0 हां 0 नहीं

	रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएगी; (viii) ऐसा कार्यवृत्त पुस्तिका निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित की जाएगी; (ix) ऐसी संकल्प निदेशक द्वारा ऐसे कार्यवृत्त के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी	
77	अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए- (v) बोर्ड द्वारा किसी प्रबंधक या सचिव को ऐसी अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे और बोर्ड ऐसे नियुक्त किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी को हटा सकेगा। (vi) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।	0 हां 0 नहीं
78	अधिनियम या विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है, या स्थान में, कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।	0 हां 0 नहीं
	मुद्रा	
79	(v) बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा। (vi) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड के या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की या ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उपस्थित में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी और दो निदेशक और सचिव या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति, हर लिखत पर, जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा इस प्रकार लगाई है, हस्ताक्षर करेंगे।	0 हां 0 नहीं

	लाभांश और आरक्षिति	
80	कंपनी साधारण अधिवेशन में लाभांश घोषित कर सकेगी किन्तु कोई लाभांश उस रकम से अधिक न होगा जिसकी सिफारिश बोर्ड द्वारा की गई है।	0 हां 0 नहीं
81	धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश समय-समय पर दे सकेगा जैसे कंपनी के लाभों के आधार पर उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।	0 हां 0 नहीं
82	(v) बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने के पूर्व कंपनी के लाभों में से ऐसी राशि आरक्षिति या आरक्षितियों के तौर पर अलग रख सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, कंपनी के लाभों का समुचित रूप से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत आकस्मिकताओं के निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों पर उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसी ही विवेकानुसार या तो कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसे बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे। (vi) बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत वह आवश्यक समझता है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षिति के रूप में अलग रखे बिना अग्रनीत कर सकेगा।	0 हां 0 नहीं
83	(vii) ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, तो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित अंशों (शेयरों) के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार जो उन अंशों (शेयरों) लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत्त और रकम के रूप में जमा कर ली गई हैं, घोषित किए जाएंगे और दिए जाएंगे किन्तु यदि और जब तक कंपनी अंशों (शेयरों) में से किसी अंश (शेयरों) लेखे में कुछ भी समादत्त नहीं किया गया है तो और तब तक अंशों (शेयरों) की रकम के अनुसार घोषित किए जा सकेंगे और दिए जा सकेंगे। (viii) ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने के पहले अग्रिम के रूप में किसी अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए यह न माना जाएगा कि वह अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त कर दी गई है। (ix) सभी लाभांश उन रकमो के अनुपात में प्रभावित किए जाएंगे	0 हां 0 नहीं

	और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभाग के दौरान अंश (शेयरों) लेखे में समादत्त की है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है। किन्तु यदि कोई अंश (शेयरों) उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निर्गमित किया गया है तो वह अंश (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	
84	बोर्ड किसी सदस्य को देय किसी लाभांश में से वे सभी धनराशियां, यदि कोई हो, काट लेगा जो कंपनी को उस सदस्य द्वारा कंपनी के अंशों (शेयरों) के संबंध में आहवान लेखे या अन्यथा तत्क्षण देय हैं।	0 हां 0 नहीं
85	(v) अंशों (शेयरों) की बाबत नकद देय कोई लाभांश ब्याज या अन्य धन राशियों के धारक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्दिष्ट करें, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा। (vi) ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता हैं, देय होगा।	0 हां 0 नहीं
86	अंश (शेयर) के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे अंश (शेयर) की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन राशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।	0 हां 0 नहीं
87	ऐसे किसी लाभांश की, जिसकी घोषणा कर दी गई हो, सूचना अधिनियम में वर्णित रीति से उन व्यक्तियों को भी भेज दी जाएगी जो उसमें अंश (शेयर) पाने के हकदार है।	0 हां 0 नहीं
88	किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।	0 हां 0 नहीं
	लेखा	
89	(v) बोर्ड समय-समय पर अवधारित करेगा कि क्या और किस हद तक और किस-किस समय तथा स्थानों पर तथा किन शर्तों या विनियमों के अधीन, कंपनी के लेखे और बहियां या उनमें से कोई भी लेखा या बही सदस्यों के, जो निदेशक नहीं है, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी। (vi) ऐसे किसी सदस्य (निदेशक न हो) को, कंपनी के किसी लेखा या बही या दस्तावेज का निरीक्षण करने का कोई अधिकार उस अधिकार के सिवाय न होगा जो विधि द्वारा उसे प्रदत्त है या बोर्ड	0 हां 0 नहीं

	द्वारा या कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में प्राधिकृत किया गया है।	
	परिसमापन	
90	इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याय 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए: (vii) यदि कंपनी का परिसमापन किया जाए तो समापक कंपनी की पूरी आस्तियां या उनका कोई भाग, भले ही वे एक ही किस्म की संपत्ति हो या नहीं, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई मंजूरी से और इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य किसी मंजूरी से सदस्यों के बीच नकद या वस्तु रूप में, विभाजित कर सकेगा; (viii) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समापक पूर्वोक्त रूप से विभाजित किए जाने के लिए पूर्वोक्त संपत्ति का ऐसा मूल्य कर नियत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और यह अवधारित कर सकेगा कि ऐसा विभाजन सदस्यों के बीच में या विभिन्न वर्गो के सदस्यों में कैसे किया जाएगा; (ix) समापक ऐसी पूरी आस्तियों या उनके भाग को अभिदायियों के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में, यदि वह आवश्यक समझता है, न्यासियों में निहित कर सकेगा किन्तु वह यह बात ऐसे ही कर सकेगा कि कोई भी सदस्य ऐसे कोई अंश (शेयर) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन पर कोई भी दायित्व है, प्रतिगृहीत करने के लिए विवश न किया जाएगा।	0 हां 0 नहीं
	क्षतिपूर्ति	
91	कंपनी का प्रत्येक अधिकारी किसी कार्यवाही की, उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने में उसके द्वारा उपगत किसी दायित्व के विरूद्ध कंपनी की आस्तियों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी जो चाहे सिविल या आपराधिक स्वरूप की हो, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया है, या जिसमें वह दोषमुक्त किया गया है या जिस पर न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसे अनुतोष अनुदत्त किया गया है। **टिप्पण:** अनुच्छेद संगम-ज्ञापन के प्रत्येक ऐसे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे जो कम से कम ऐसे साक्षी की उपस्थिति में	0 हां 0 नहीं

अपना पता, वर्णन और व्यवसाय यदि कोई है, जोड़ेगा, जो हस्ताक्षरों को अनुप्रमाणित करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन और व्यवसाय, यदि कोई हो जोड़ेगा और ये हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट हर प्ररूप में होंगे।

विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, और नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में हस्ताक्षर होंगे:-

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)
क,ख का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ग,घ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ङ,च का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
छ,ज का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
झ,ञ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ट,ठ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ड,ढ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर

तारीख मास 20

स्थान

IndiaCode

सारणी ञ

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम-अनुच्छेद

1. ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनके साथ कंपनी रजिस्ट्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव करती है, सौ है किंतु निदेशक बोर्ड समय-समय पर, जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार में उसकी अपेक्षा की जाती है, सदस्यों की वृद्धि रजिस्टर कर सकेंगे।	हां/नहीं
2. ज्ञापन अभिदाता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार करें, कंपनी के सदस्य होंगे।	हां/नहीं
3. कंपनी अधिनियम, 2013 से उपाबद्ध अनुसूची 1 में सारणी झ के सभी अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के साथ निगमित समझे जाएंगे और कंपनी को लागू होंगे।	हां/नहीं

सारणी ज

प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी, जिसकी अंश पूंजी नहीं है, के संगम- अनुच्छेद

निर्वचन

	लागू होना
1. (1) इन विनियमों में..	हां/नहीं
(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;	
(ख) "मुद्रा" से कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है।	
(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में आए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में या उस तारीख को, जब ये विनियम कंपनी पर आबद्धकर हो जाते हैं, प्रवृत्त उसके किसी कानूनी संशोधन मे हैं।	
सदस्य	
2. (1) जितने सदस्यों सहित रजिस्ट्रीकृत किए जाने की कंपनी की प्रस्थापना है उनकी संख्या सौ होगी, किंतु जब कभी कंपनी या कंपनी के कारबार से यह अपेक्षित हो, निदेशक बोर्ड समय-समय पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा।	हां/नहीं
(2) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड सदस्यता में प्रविष्ट कर ले, कंपनी के सदस्य होंगे।	हां/नहीं
साधारण अधिवेशन	
3. वार्षिक साधारण अधिवेशनों से भिन्न सभी साधारण अधिवेशन असामान्य साधारण अधिवेशन कहे जाएंगे।	हां/नहीं
4. (i) जब कभी बोर्ड ठीक समझे वह असामान्य साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।	
(ii) यदि किसी समय कार्य करने के लिए समर्थ इतनी संख्या में निदेशक भारत में नहीं हैं, जितनी गणमूर्ति (कोरम) के लिए पर्याप्त है, तो कंपनी का कोई निदेशक या कोई दो सदस्य असामान्य साधारण अधिवेशन यथासंभव निकटतम रीति से बुला सकेंगे जिससे ऐसा अधिवेशन बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकता है।	
साधारण अधिवेशनों में कार्यवाहियां	हां/नहीं

IndiaCode

5. (i) किसी साधारण अधिवेशन में तब तक कोई संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) उस समय पर उपस्थित नहीं है, जब अधिवेशन कामकाज करने के लिए अग्रसर होता है।

(ii) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, साधारण अधिवेशन में गणपूर्ति (कोरम) धारा 103 में यथा उपबंधित होगी।

6. बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी के हर साधारण अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।

हां/नहीं

7. यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है या वह अधिवेशन करने के लिए नियत समय के पश्चात् पन्द्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है या यदि अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं हो तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

हां/नहीं

8. यदि किसी अधिवेशन में कोई भी निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए रजामंद नहीं है या यदि उस समय से पन्द्रह मिनट के अंदर जो अधिवेशन करने के लिए नियत है, कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का सभापति चुनेंगे।

हां/नहीं

अधिवेशन का स्थगन

9. (i) अध्यक्ष समय-समय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अधिवेशन का स्थगन उस अधिवेशन की सम्मति से, जिसमें गणमूर्ति (कोरम) उपस्थित है, कर सकेगा तथा उस दशा मे करेगा जिसमें कि अधिवेशन द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है।

(ii) किसी स्थगित अधिवेशन में उस संव्यवहार से भिन्न, जो उस अधिवेशन में बाकी रह गया था जिससे वह स्थगित हुआ था, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।

(iii) जबकि अधिवेशन तीस दिनों तक के लिए या उनसे अधिक दिनों तक के लिए स्थगित किया जाता है तब स्थगित अधिवेशन की सूचना वैसे ही दी जाएगी जैसी मूल अधिवेशन की दशा में दी जाती है।

(iv) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा अधिनियम की धारा 103 में यथा उपबंधित स्थगन की या स्थगित अधिवेशन में किए जाने वाले संव्यवहार की कोई सूचना भी देनी आवश्यक नहीं होगी।

IndiaCode

मताधिकार

हां/नहीं

10. हर सदस्य का एक मत होगा।

11. यदि ऐसा कोई सदस्य, जो विकृतचित्त है या जिसकी बाबत ऐसे किसी न्यायालय ने, जिसे पागलपन विषयक अधिकारिता प्राप्त है आदेश दे दिया है, हाथ उठाकर दिए जाने वाले मतदान में या मतांकन में अपनी समिति या अन्य विधिक संरक्षक द्वारा मत दे सकेगा तथा ऐसी कोई समिति या संरक्षक, मतांकन में परोक्षी द्वारा मत दे सकेगा। हां/नहीं

12. कोई सदस्य किसी साधारण अधिवेशन में मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वर्तमान में उसके द्वारा कंपनी को संदेय सभी राशियों का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

13. (i) किसी मतदाता की अर्हता के बारे में कोई आक्षेप उस अधिवेशन में या तत्संगत अधिवेशन में, जिसमें वह मत जिस पर आक्षेप किया गया है, दिया गया या निविदत्त किया जाता है, के सिवाय नहीं किया जाएगा और ऐसा हर मत जिसका दिया जाना ऐसे अधिवेशन द्वारा अननुज्ञात नहीं किया गया है सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।

हां/नहीं

(ii) सम्यक् समय पर किया गया ऐसा कोई आक्षेप अधिवेशन के अध्यक्ष को निदिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

14. जो मत परोक्षी- लिखत के निबंधनों के अनुसार दी गई है वह इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि परोक्षी देने वे की मृत्यु हो गई है या पागल हो गया है या परोक्षी- लिखत या वह प्राधिकार, जिसके अधीन परोक्षी-लिखत निष्पादित की गई थी, प्रतिसंहृत कर दिया गया है या पूंजियों का स्थानांतरण जिसके संबंध में परोक्षी दी गई है:

परंतु यह तब जब कि ऐसी मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण या अंतरण की लिखित सूचना अधिवेशन के प्रारंभ होने या अधिवेशन के स्थगित होने, जिसमें परोक्षी का प्रयोग किया जाना है, से पूर्व कंपनी को अपने कार्यालय में न मिली हो। हां/नहीं

15. कोई सदस्य धारा 108 के अनुसार अधिवेशन में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा, अपने मत का प्रयोग कर सकेगा तथा केवल एक मत देगा। हां/नहीं

16. ऐसे कारबार से भिन्न कोई कारबार को जिस पर मतदान की मांग की गई है मतदान कराए जाने के लंबित रहने तक अग्रसर किया जा सकेगा। हां/नही

IndiaCode

निदेशक बोर्ड

17. निदेशकों की संख्या और पहली बार वाले निदेशकों के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा या उनकी बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में अवधारित किए जाएंगे।

18. (i) जहां तक कि निदेशकों का पारिश्रमिक मासिक संदाय के रूप में है वहां तक उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि दिन प्रतिदिन प्रोद्भूत होता है।

(ii) अधिनियम के अनुसरण में उनको संदेय पारिश्रमिक के साथ-साथ निदेशकों को वे सब यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय दिए जा सकेंगे जो उन्होंने,-

(क) निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों में या कंपनी के साधारण अधिवेशनों में हाजिर होने और वहां से लौटने में, या

(ख) कंपनी के कारबार के संबंध में,

समुचित रूप से उपगत किए हैं।

बोर्ड की कार्यवाहियां

19. (i) निदेशक बोर्ड कामकाज का संचालन के लिए अधिवेशन कर सकेगा और अपने अधिवेशनों को स्थगित या अन्यथा विनियमित कर सकेगा जैसा करना वह ठीक समझता है।

(ii) बोर्ड का अधिवेशन किसी भी समय कोई भी निदेशक बुला सकेगा और निदेशक की अध्यपेक्षा पर प्रबंधक या सचिव बुलाएंगे।

20. (i) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के किसी अधिवेशन में उद्भूत प्रश्नों पर विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के अनुसार होगा।

(ii) मतों के बराबर होने की दशा में, बोर्ड के अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

21. वे निदेशक इस बात के होते हुए भी कि बोर्ड में कोई रिक्ति है, जो बने रहते हुए कार्य कर सकेंगे, किंतु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड के अधिवेशन के लिए, अधिनियम द्वारा नियत गणपूर्ति (कोरम) से कम हो जाती है तब तक वह निदेशक या वे निदेशक जो बना रहता है या बने रहे हैं, निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर इतनी कर देने के प्रयोजन के लिए जितनी गणपूर्ति (कोरम) के लिए नियत है, या कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकेंगे किंतु अन्य प्रयोजन के लिए कार्य न कर सकेंगे।

IndiaCode

22. (i) बोर्ड अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन कर सकेगा और उस कालावधि का अवधारण कर सकेगा जिस तक उसे पद धारण करना है।

(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उस समय के पश्चात्, जो अधिवेशन के लिए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकेंगे। हां/नहीं

23. (i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन अपने निकाय के ऐसे सदस्य या सदस्यों द्वारा मिलकर बनी समितियों को जैसे या जैसों को बोर्ड ठीक समझता है, कर सकेगा।

(ii) ऐसी बनाई गई समिति अपने को ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन विनियमों का अनुपालन करेगी जो उस पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए गए हों। हां/नहीं

24. i) समिति अपने अधिवेशनों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित कर सकेगी।

(ii) यदि ऐसा कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है या यदि किसी अधिवेशन में उस समय के पश्चात् जो अधिवेशन के किए जाने के लिए नियत है, पांच मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन सकेंगे। हां/नहीं

25. i) समिति जैसा भी उचित समझे अपना अधिवेशन स्थगित कर सकेगी।

(ii) समिति के किसी अधिवेशन में उठने वाले प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा। हां/नहीं

26. वे सब कार्य जो बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन द्वारा या निदेशक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा, किए गए हैं तत्पश्चात् इस बात का पता चलने पर भी ऐसे निदेशकों में से किसी एक या अधिक की या पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या वे या उनमें से कोई निर्रह था ऐसे विधिमान्य होंगे ऐसा हर निदेशक या ऐसा व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए अर्हित था। हां/नहीं

27. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह लिखित संकल्प, जिस पर बोर्ड के या उसकी समिति के उन सभी सदस्यों ने, जो तत्समय बोर्ड के या समिति के अधिवेशन की सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं ऐसे विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो सम्यक् रूप से बुलाए गए

और किए गए बोर्ड के या समिति के अधिवेशन में उसे पारित किया गया था।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी

28. अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन-

(i) बोर्ड द्वारा किसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, ऐसे पारिश्रमिक पर और ऐसी शर्तों पर जैसा या जैसी बोर्ड ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा ऐसे नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी को किसी संकल्प द्वारा हटा सकेगा;

(ii) किसी निदेशक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

29. अधिनियम का या इन विनियमों का जो उपबंध किसी निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के द्वारा या उससे किसी बात के किए जाने की अपेक्षा करता है या उसका किया जाना प्राधिकृत करता है, उसकी पूर्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा या प्रति, जो एक साथ ही निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव या मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में या स्थान पर कार्य कर रहा है किए जाने से नहीं होगी।

मुद्रा

30. (i) बोर्ड, मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध करेगा।

(ii) कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर बोर्ड या इस आधार पर उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के संकल्प के प्राधिकार से तथा कम से कम दो निदेशकों और सचिव की यी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसे बोर्ड उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उपस्थिति में लगाए जाने के सिवाय न लगाई जाएगी, और वे दो निदेशक और सचिव या अन्य व्यक्ति, जैसा पूर्वोक्त है, उस हर लिखत पर जिस पर उनकी उपस्थिति में कंपनी की मुद्रा ऐसे लगाई गई है, हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणः अनुच्छेदों पर संगम-ज्ञापन के प्रत्येक अभिदायी के हस्ताक्षर होंगे, जिनका अपना पता, विवरण, उपजीविका,यदि कोई है, कम से कम एक साक्षी के समक्ष, जो हस्ताक्षर तथा उसी रूप में दिए गए पते, विवरण और उपजीविका, यदि कोई है, का सत्यापन करेगा तथा ऐसे हस्ताक्षर नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप में दिया जाएगाः

अभिदायियों के नाम, पते, विवरण और उपजीविकाएं	साक्षी (नाम, पता, विवरण तथा उपजीविका के साथ)
क,ख का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ग,घ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ङ,च का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
छ,ज का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
झ,ञ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ट,ठ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित हस्ताक्षर
ड,ढ का वणिक	मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर	

तारीख मास 20

स्थान

[फा. सं. 1/13/2013/सीएल-V(पार्ट-I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2015

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-section (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section11, sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 12, sub-sections (3), (4) and the proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-sections (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2015.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,-

 (a) rule 5 shall be omitted;

 (b) in rule 6, in sub-rule (1), for the words "exceeds fifty lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period", the words "exceeds fifty lakh rupees **and** its average annual turnover during the relevant period" shall be substituted;

 (c) in rule 7, in sub-rule (1), for the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less or average annual turnover, during the relevant period", the words "having paid up share capital of fifty lakhs rupees or less **and** average annual turnover during the relevant period" shall be substituted;

 (d) after rule 7, the following rules shall be inserted; namely:-

IndiaCode

"7A. **Penalty.-** If a One Person Company or any officer of such company contravenes any of the provisions of these rules, the One Person Company or any officer of the such Company shall be punishable.with fine which may extend to five thousand rupees and with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first offence during which such contravention continues";

(e) in rule 8, in sub-rule (2), in clause (b), in sub-clause (xi), in the proviso, after the words and figures "under section 248 of the Act", the words, figures and brackets "or under section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be inserted;

(f) in rule 16, in sub-rule (1), for clause (q), the following shall be substituted, namely:-

"(q) the promoter or first director shall self attest his signature and latest photograph in Form No.INC.10".

(g) after rule 35, the following rule shall be inserted, namely: -

"36. **Integrated Process for Incorporation**.-(1) For the purpose of simplifying the filing of forms for incorporation of a company, the integrated process shall apply with effect from **01/05/2015**.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the application for allotment of Director Identification Number upto three Directors, reservation of a name, incorporation of company and appointment of Directors of the proposed company shall be filed in Integrated **Form No. INC-29,for One Person Company, private company, public company and Producer Company**, with the Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated, along with the fee of rupees two thousand in addition to the registration fee as specified in Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.

(3) For the purposes of filing Integrated Incorporation form, the particulars of maximum of three directors shall be allowed to be filled in INC-29 and allotment of Director Identification Number of maximum of three proposed directors shall be permitted in Form INC-29 in case of proposed directors not having approved Director Identification Number.

(4)The promoter or applicant of the proposed company shall propose only one name in e-form No. INC-29.

(5) The promoter or applicant of the proposed company may prepare Memorandum of Association as per templates in Form INC-30 and may opt for templates of Articles of Association in Form INC-31 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Article of Association.

(6) The promoter or the applicant shall sign and witness, the Memorandum of Association and Articles of Association in the forms downloaded from the portal of the Ministry of Corporate Affairs and scanned legibly and attach to e-form INC-29 in accordance with the provisions of rule 13 for preparation of Memorandum of Association and Articles of Association.

(7) The facility to file Integrated application for incorporation in Form INC-29 is available as an option to the process for separate applications for allotment of Director Identification Number, reservation of name and Incorporation of a company as provided in these rules.

IndiaCode

(8) For an application filed using the Integrated process of incorporation as provided in this rule, the provisions of sub-clause (i) of sub-section (5) of section 4 of the Act and rule 9 of these rules shall not apply.

(9) A company using the provisions of this rule may furnish verification of its registered office under sub-section (2) of section 12 of the Act by filing e-Form INC-29 in which case the company shall attach along with such e-Form INC-29, any of the documents referred to in sub-rule (2) of rule 25.

(10) The requirement of filing e-form INC-22 may be dispensed with if, the proposed company maintains its registered office at the given correspondence address.

(11) The Registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated shall process INC-29 including application for allotment of Director Identification Number.

(12) (a) Where the Registrar, on examining e-form INC-29, finds that it is necessary to call for further information or finds such application or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation to the applicant to remove the defects and re-submit the e-form within fifteen days from the date of such intimation given by the Registrar.

(b) After the resubmission of the document, if the registrar still finds that the document is defective or incomplete in any respect, he shall give one more opportunity of fifteen days to remove such defects or deficiencies.

(c) In case, the Registrar is of the opinion that the document is defective or incomplete in any respect after giving such two opportunities, the e-form INC-29 of the proposed company shall be rejected.

(13) The Certificate of Incorporation shall be issued by the Registrar in Form No. INC-11".

(h) in Annexure, in Form No. INC-11, for the words, figures and brackets "and rule 8 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", the words, figures and brackets "and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014", shall be substituted.

(i) in Annexure,-

(a) for Form No. INC-7, INC-10, INC-11 and INC-22, the following form shall, respectively be substituted, namely:-

FORM NO. INC-7

[Pursuant to Section 7(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 10, 12, 14, and 15 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application for Incorporation of Company (Other than OPC)

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Service Request Number (SRN) of Form INC-1 [] Pre-Fill

2. (a) Name of the company []

 (b) Type of Company is [] (c) Class of Company []

 (d) Category [] (e) Sub category []

 (f) Section 8 license number []

 *(g) Company is O Having share capital O Not having share capital

3. (a) Name of the state/Union territory in which the company is to be registered []

 (b) Name of the office of the Registrar of Companies in which the company is to be registered []

 (c) *Whether the address for correspondence will be the address of Registered office of the Company

 o Yes o No

 (d) Address for correspondence till the registered office of the company is established

 *Line I []
 Line II []
 *City []
 *State/Union Territory []
 *District [] *Pin code []
 ISO Country code []
 Country []
 *Phone (With STD code) 91 - - [] []
 Fax []
 *email ID of the company []

4. I. *Capital structure of the company

 (a) Authorized capital of the company (in Rs.) []

 (i) No. of classes of equity shares [] Total number of equity shares []

 Total amount of equity shares (in Rs.) []

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

IndiaCode

(i) No. of classes of equity shares [] Total number of preference shares []

Total amount of preference shares (in Rs.) []

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

(b) Subscribed capital of the company (in Rs.) []

(i) No. of classes of equity shares [] Total number of equity shares []

Total amount of equity shares (in Rs.) []

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

(i) No. of classes of equity shares [] Total number of preference shares []

Total amount of preference shares (in Rs.) []

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

IndiaCode

4 *Details of number of members

(a) Enter the maximum number of members []

(b) Maximum number of members excluding proposed employees []

(c) Number of members []

(d) Number of members excluding proposed employee(s) []

5 *Main division of industrial activity of the company []

Description of the main division []

6 *(a) Whether the proposed company shall be conducting any activities which require approval from any sectoral regulator (Like RBI in case of NBFI and Banking activities) to commence such activities

o Yes o No

(b) If yes, please enter the name of such Regulatory authority and proposed activity.

[]

7 *Enter the number of promoters (first subscribers to the Memorandum of Association (MOA)) []

Particulars of Promoters (first subscribers to the MOA)

*Category

* Director Identification number(DIN) or Income -tax permanent account number (Income- tax PAN) or passport number or corporate identity number(CIN) Or foreign company registration number(FCRN) or any other registration number

Pre-Fill | Verify Details

*First Name

Middle Name

*Surname

Family Name

*o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name

*Nationality *Date of Birth

*Gender □ Male □ Female □ Transgender

*Place of Birth (District & State)

*Occupation type □Self Employed □Professional □Homemaker □Student □Serviceman

*Area of Occupation

*Educational qualification

*Name of the entity

Income tax permanent Account Number (PAN)

Permanent Address/Registered address/Principal place of business

*Line I

Line II

*City

*State /Union Territory *Pin code

*ISO Country code

Country

*Phone (With STD/ISD code) -

Mobile

Fax

*email id

*Whether present address is same as the permanent address □ Yes □ No

Present Address

*Line I

Line II

*City

*State/Union Territory *Pin code

*ISO Country code

Country

*Phone(With STD/ISD code)

Mobile

Fax

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

IndiaCode

*Proof of identity

*Residential Proof

If already a director or promoter of a company(s), specify details of such company(s) (In case director or promoter in more than three companies, attach seperate sheet as an optional attachment)

Director ☐ Promoter ☐ CIN

Name of the company

Director ☐ Promoter ☐ CIN

Name of the company

Director ☐ Promoter ☐ CIN Pre-fill all

Name of the company

* Number of shares subscribed * Total amount of shares subscribed (In Rs.)

* Particulars of authorised person

a) Name of the authorised person

b) o Father's Name o Mother's Name o Spouse's name

c) Gender o Male o Female o Transgender

d) Nationality f) Date of Birth

f) Phone (With STD/ISD code) -

g) email ID

8. (a) *Whether the Articles are entrenched or not o Yes o No

(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto)

(b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Details of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Sr. No.	Article Number	Content

9. Particulars of payment of stamp duty

IndiaCode

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid | Pre-Fill

(b) Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system ◯ Yes ◯ No ◯ Not applicable

(i) Details of stamp duty to be paid

Type of document/ Particulars	Form INC-7	Memorandum of association	Articles of association
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)			

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/ Particulars	Form INC-7	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of stamp duty paid (in Rs.)				
Mode of payment of stamp duty				
Name of vendor or Treasury or Authority or any other competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number				
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty (DD/MM/YYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty				

IndiaCode

10. Additional Information for applying Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN)**

Information specific to PAN

Area code			AO type		Range code			AO No.			

Information specific to TAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Source of Income

□ Income from Business/profession □ Capital Gaines □ Income from house property

□ Income from other source □ No Income

Business/Profession code

11. Additional Information for Employer registration under Employee State Insurance Corporation (ESIC)

Type of Unit □ Factory □ Establishment

Exact nature of Work/ Business carried on: Drop Down

Work Sub category: Drop Down

**** This information is mandatorily required to be filled in case of applicants desirous of applying for PAN and or TAN at the time of incorporation of a company. This facility is available at the e-Biz portal only as per separate procedure prescribed by e-Biz portal.**

India Code

Attachments

1)	*Memorandum of association	Attach
2)	*Articles of association	Attach
3)	*Declaration in Form No. INC-8	Attach
4)	*Affidavit from each of the subscriber to the memorandum in Form No. INC-9	Attach
5)	*Proof of residential address	Attach
6)	Specimen Signature in Form INC-10	Attach
7)	Proof of identity	Attach
8)	Entrenched Articles of association	Attach
9)	Copy of In-principle approval granted by sectoral regulator if already taken	Attach
10)	NOC in case there is change in the promoters (first subscribers to Memorandum of Association)	Attach
11)	Proof of nationality (in case the subscriber is a foreign national)	Attach
12)	PAN card (in case of Indian national)	Attach
13)	Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and registered office address	Attach
14)	Copy of resolution/consent by all the partners or board resolution authorizing to subscribe to MOA	Attach
15)	Optional attachment, if any	Attach

Declaration

I * , a person named in the articles as a declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of

Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;
3. [] *a/an* [] having Membership number [] and/or certificate of practice number [] has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached
4. I [], the applicant, in the capacity of [] do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

***To be digitally signed by** DSC BOX

Designation []

*DIN of the director; or DIN or Income tax PAN of the manager or Membership number of the company secretary []

Note: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, *inter-alia*, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

[] Check Form Prescrutiny Submit

For office use only:

eForm Service request number (SRN) [] eForm filing date [] (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer []

Date of signing [] (DD/MM/YYYY)

Indiacode

Form No. INC – 10

Form for verification of signature of subscribers
[Pursuant to rule 16 (1) (q) of Companies (Incorporation) Rules,2014]

Size 4'*4' (passport size)

IndiaCode

1. Names, Father's name and address of subscribers/first directors:

2. Two Specimen signatures:

(i)
(ii)

Attestation
(To be self-attested with address)

Note:
1. In point no. 1 above, strike off whichever is not applicable.
2. Person who is attesting should indicate his/her name, address and ID number,

Form No. INC-11

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub- section (2) of section7 of the Companies Act, 2013 and rule 18 and sub-rule (13) of rule 36 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that(name of the company) is incorporated on this day of two thousand under the Companies Act, 2013 and that the company is limited by shares / limited by guarantee/ unlimited company.

The CIN of the company is

Given under my hand at this day of two thousand

SEAL:

Registrar of Companies

.....

(State)

IndiaCode

FORM NO. INC-22

[Pursuant to section 12(2) & (4) of The Companies Act, 2013 and Rule 25 and 27 of The Companies (Incorporation) Rules 2014]

सत्यमेव जयते

Notice of situation or change of situation of registered office

Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *This Form is for o New company o Existing company

2. *(a) Corporate identity number (CIN) of company [] Pre-fill
 or SRN of Form No. INC-1
 (b) Global location number (GLN) of company []

3. (a) Name of the company []

 (b) Address of the registered office of the company

 []

 (c) Name of the office of existing Registrar of Companies (RoC)

 []

 (d) *Purpose of the form
 - ☐ Change within local limits of city, town or village
 - ☐ Change outside local limits of city, town or village, within the same RoC and state
 - ☐ Change in RoC within the same state
 - ☐ Change in state within the jurisdiction of same RoC
 - ☐ Change in state outside the jurisdiction of existing RoC

4. Notice is hereby given that

 *(a) The address of the registered office of the company with effect from
 o [] (DD/MM/YYYY) is
 o The date of incorporation of company is
 *Address Line I []
 Line II []
 * City []
 * District []
 * State/Union Territory []
 Country []
 *Pin code []
 *Phone (with STD Code) 91 - [] []
 *email ID []

 (b) *Registered office is
 o Owned by company o Owned by director (Not taken on lease by company)

IndiaCode

o Taken on lease by company o Owned by any other entity/Person(Not taken on lease by company)

(c) *Name of office of proposed RoC or new RoC

(d) Full address of the police station under whose jurisdiction the registered office is situated

*Name

*Address Line I

Address Line II

*City

State/Union Territory

*Pin code

(e) *Particulars of the Utility Services Bill depicting the address of the registered office (not older than two months)

5. (a) *SRN of Form MGT-14

(b) *SRN of Form No. INC-28

(c) *Date of order of the Central Government (DD/MM/YY)

Attachments

(1) *Proof of Registered Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement along with the rent receipts) etc.; Attach

(2) *Copies of the utility bills as mentioned above (not older than two months); Attach

(3) *A proof that the Company is permitted to use the address as the registered office of the Company if the same is owned by any other entity/ Person (not taken on lease by company); Attach

(4) *Copy of order of competent authority; Attach

(5) List of all the companies (specifying their CIN) having the same registered office address, if any; Attach

(6) Optional attachment, if any. Attach

List of Attachments

Remove attachment

Declaration

I *

☐ A person named in the articles as a (Drop down: director / manager / Company Secretary) of the company

☐ have been authorized by the Board of Directors of the company vide resolution number dated

to sign this form and declare that

☐ *all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

☐ *I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

☐ It is hereby further certified that (Small description box), a (Drop down) {Values: Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost Accountant} having Membership number and certificate of practice number certifying this form has been duly engaged for this purpose.

*To be digitally signed by DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the company and maintained as per the relevant provisions of The Companies Act, 2013 and were found to be in order;
2. I have opened all the attachments to this Form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;
3. I further declare that I have personally visited the registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said registered office of the company is functioning for the business purposes of the company.

To be digitally signed by DSC BOX

◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or

◯ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

IndiaCode

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Check Form | Prescrutiny

For office use only:

eForm Service request number (SRN) | eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

(b) after Form No. INC-28, the following forms shall be inserted, namely:-

FORM NO. INC-29 — Integrated Incorporation Form

(Pursuant to sections 4,7,12, 152 and 153 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder)

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *State the type of company
 (b) *State the class of company o Public o Private o One Person Company
 (c) *State the category of company
 (d) *State the sub-category of company
 (e) *Company is ☐ Having share capital ☐ Not having share capital
2. (a) *Main division of industrial activity of the company
 Description of the main division

 (b) *Whether standard template of Memorandum of Association (MoA) as prescribed under schedule I to the Companies Act, 2013 is opted for adoption o Yes o No

 (c) (i) *Whether standard template of Articles of Association (AoA) as prescribed under schedule I to the Companies Act, 2013 is opted for adoption o Yes o No

 (ii) Whether Articles of Association is entrenched o Yes o No
 (iii) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable
 Details of such articles

Sr. No.	Article Number	Short description on entrenchment of the clause

3. (i) *Capital structure of the company
 Total authorized share capital (in Rupees)

Authorized share capital	Equity	Preference	Unidentified
Number of shares			
Nominal amount per share (in Rupees)			
Total amount (in Rupees)			

Total subscribed share capital (in Rupees)

Subscribed share capital	Equity	Preference
Number of shares		
Nominal amount per share (in Rupees)		
Total amount (in Rupees)		

(ii) *Details of number of members

(a) Enter the maximum number of members	
(b) Maximum number of members excluding proposed employees	
(c) Number of members	
(d) Number of members excluding proposed employee(s)	

IndiaCode

4. (a) *Correspondence address

*Line I	
Line II	
*City	
*State/Union Territory	* Pin code
*District	
*Phone (with STD code)	-
Fax	
*email ID of the company	

(b) *Whether the address for correspondence is the address of registered office of the company o Yes o No

(c) *Name of the office of the Registrar of Companies in which the proposed company is to be registered

5. *Particulars of the proposed name

(a)	Proposed name	
	Significance of abbreviated or coined word in the proposed name	
	State the name of the vernacular language(s) if used in the proposed name and meaning thereof	

(b)	(i) *Whether the promoters are carrying on any Partnership firm, sole proprietary or unregistered entity in the name as applied for	o Yes o No
	If yes, whether the business of such entity shall be acquired	o Yes o No
	(ii) *Whether the proposed name contains name of any person other than the promoter(s) or their close blood relative(s)	o Yes o No
	(iii) *Whether the proposed name includes the name of relative(s)	o Yes o No
	(iv) *Whether approval from any sectoral regulator is required	o Yes o No

(v) Whether the name is similar to o Existing Indian Company o Foreign body corporate
[Attach the copy of No Objection Certificate by way of Board resolution (duly attested by a director of that company)]

Provide CIN Pre-fill

Name of the Company

(c) (i) *Whether the proposed name is based on a registered trademark or is subject matter of an application pending for registration under the Trade Marks Act o Yes o No

(ii) *Specify the class(s) of trade mark (refer the instruction kit for details)

(iii) *Furnish the particulars of application and the approval of the applicant or owner of the trade mark

IndiaCode

6. (a) *Number of first subscriber(s) to MOA and directors of the company

	Having valid DIN	Not having valid DIN
Total number of directors (including subscriber cum director)		
Number of individual first subscriber(s) cum director(s)		
Number of individual first subscriber(s) other than subscriber cum director		
Number of non-individual first subscriber(s)		

(b) *Particulars of directors (other than first subscribers)

I

*Director Identification number (DIN) | Pre-Fill

*Name

*Gender | *Date of Birth | *Nationality

*Designation | *Category

Whether ☐ Chairman ☐ Executive director ☐ Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is

*email ID

Number of entities in which director have interest (Need not to mention if such entity is having CIN/FCRN/LLPIN)

*Registration number	
*Name	
*Address	
Nature of interest	*Designation
	Percentage of Shareholding / Amount
	Others (specify)

I

*First Name

Middle Name

*Surname

*Father's first name

Father's middle name

*Father's surname

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Place of Birth

*Whether citizen of India o Yes o No *Whether resident in India o Yes o No

*Occupation type o Self Employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman

*Area of Occupation

If 'Others' selected, please specify

*Educational Qualification

* □ PAN □ Passport number Verify Details

*Designation *Category

Whether □ Chairman □ Executive director □ Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is

*email ID

Permanent Address

*Line I

Line II

*City

* State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code) -

*Whether present residential address same as permanent residential address o Yes o No

Present address

*Line I

Line II

*City

*State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code) -

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity *Residential Proof

Voter's identity card number

Driving license number

Aadhaar Number

IndiaCode

Submit the proof of identity and proof of address under attachments.

Number of entities in which director have interest

*Registration number		
*Name		
*Address		
Nature of interest	*Designation	
	Percentage of Shareholding	Amount
	Others (specify)	

(c) *Particulars of individual first subscriber(s) cum directors

I

*Director Identification number (DIN) Pre-Fill

*Name

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Designation *Category

Whether ☐ Chairman ☐ Executive director ☐ Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is

*email ID

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

Number of entities in which director have interest (Need not to mention if such entity is having CIN/FCRN/LLPIN)

*Registration number		
*Name		
*Address		
Nature of interest	*Designation	
	Percentage of Shareholding	Amount
	Others (specify)	

I

*First Name

Middle Name

*Surname

*Father's first name

Father's middle name

*Father's surname

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Place of Birth

*Whether citizen of India o Yes o No *Whether resident in India o Yes o No

*Occupation type o Self Employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman

*Area of Occupation

If 'Others' selected, please specify

*Educational Qualification

* □ PAN □ Passport number

*Designation *Category

Whether □ Chairman □ Executive director □ Non-executive director

*Name of the company or institution whose nominee the appointee is

*email ID

Permanent Address

*Line I

Line II

*City

* State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code) -

*Whether present residential address same as permanent residential address o Yes o No

Present address

*Line I

Line II

*City

*State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity *Residential Proof

India Code

Voter's identity card number

Driving license number

Aadhaar Number

Submit the proof of identity and proof of address under attachments.

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

Number of entities in which director have interest

*Registration number

*Name

*Address

Nature of interest

*Designation

Percentage of Shareholding Amount

Others (specify)

(d) *Particulars of individual first subscriber(s) (other than subscriber cum director)

I

*Director Identification number (DIN) Pre-Fill

*Name

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

I

*First Name

Middle Name

*Surname

*Father's first name

Father's middle name

*Father's surname

*Gender *Date of Birth *Nationality

*Place of Birth

*Occupation type o Self Employed o Professional o Homemaker o Student o Serviceman

*Area of Occupation

If 'Others' selected, please specify

*Educational Qualification

* ☐ PAN ☐ Passport number

*email ID

Permanent Address

*Line I

Line II

*City

* State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code) -

*Whether present residential address same as permanent residential address o Yes o No

Present address

*Line I

Line II

*City

*State/ Union Territory *Pin code

*ISO Country code Country

*Phone (with STD/ISD code

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity *Residential Proof

Submit the proof of identity and proof of address under attachments.

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

(e) *Particulars of non-individual first subscriber(s)

*Category

*Corporate identity number(CIN) or foreign company registration number(FCRN) or any other registration number Pre-Fill

*Name of the body corporate

Registered office address or Principal place of business in India or Principal place of business outside India

*Line I

Line II

*City

*State /Union Territory *Pin code

*ISO Country code

IndiaCode

Country

*Phone (With STD/ISD code) -

Fax

*email id

Particulars of the authorised person

*First Name

Middle Name

*Surname

*Father's First Name

Father's Middle Name

*Father's Surname

* Gender *Date of Birth *Nationality

*Income tax PAN

*Place of Birth (District & State)

*Occupation type

*Area of Occupation

*Educational qualification

Present Address

*Line I

Line II

*City

*State /Union Territory *Pin code

ISO Country code

Country

*Phone (With STD/ISD code) -

Mobile

Fax

*email id

Kind of shares subscribed	Number of subscribed shares	Amount of shares subscribed
Equity shares		
Preference shares		

7. (a) ***Nomination***

I *

the subscriber to the memorandum of association of

do hereby nominate *

who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity to contract. I declare that the nominee is eligible for nomination within the meaning of Rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

(b) *Particulars of the Nominee

Director Identification number(DIN) Pre-Fill

IndiaCode

*First Name
Middle Name
*Surname
*Father's First Name
Father's Middle Name
*Father's Surname
*Gender *Date of Birth Nationality
*Income- tax PAN Verify Details
*Place of Birth (District & State)
*Occupation type
*Area of Occupation
*Educational qualification

Permanent Address

*Line I
Line II
*City
*State /Union Territory *Pin code
*ISO Country code
Country
*Phone (With STD/ISD code) -
Mobile
Fax
*email id
*Whether present address is same as the permanent address ☐ Yes ☐ No

Present Address

*Line I
Line II
*City
*State/Union Territory *Pin code
*ISO Country code
Country
Phone (With STD/ISD code)
Mobile
Fax

*Duration of stay at present address Years Months

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity *Residential Proof

IndiaCode

8. Particulars of payment of stamp duty

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid | Pre-Fill

(b) *Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system ◯ Yes ◯ No ◯ Not applicable

(i) Details of stamp duty to be paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)			

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/ Particulars	Form	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of stamp duty paid (in Rs.)				
Mode of payment of stamp duty				
Name of vendor or Treasury or Authority or any other competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number				
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty (DD/MM/YYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty				

IndiaCode

9. Additional Information for applying Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN)**

Information specific to PAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Information specific to TAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Source of Income

□ Income from Business/profession □ Capital Gains □ Income from house property

□ Income from other source □ No Income

Business/Profession code

10. Additional Information for Employer registration under Employee State Insurance Corporation (ESIC)

Type of Unit □ Factory □ Establishment

Exact nature of Work/ Business carried on

Work Sub category

****This information is mandatorily required to be filled in case of applicants desirous of applying for PAN and/ or TAN at the time of incorporation of a company. This facility is available at the e-Biz portal only as per separate procedure prescribed by e-Biz portal.**

Attachments

1. *Memorandum of association; Attach
2. *Articles of Association; Attach
3. *Affidavit and declaration by first subscriber(s) and director(s); Attach
4. Proof of Office address (Conveyance/ Lease deed/Rent Agreement etc. along with rent receipts); Attach
5. Copy of the utility bills (not older than two months); Attach
6. Approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of Trademark; Attach
7. Proof of relation; Attach
8. NOC from the sole proprietor/partners/other associates/ existing company; Attach
9. NOC from any other person; Attach
10. Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and resolution passed; Attach
11. Resolution passed by promoter company; Attach
12. NOC from existing Indian company; Attach
13. Interest of first director(s) in other entities; Attach
14. Consent of Nominee; Attach
15. Proof of identity & residential address of subscribers; Attach
16. Proof of identity & residential address of nominee; Attach
17. Proof of identity and address of Applicant I; Attach
18. Proof of identity and address of Applicant II; Attach

19. Proof of identity and address of Applicant III; Attach
20. Optional attachment(s), (if any) Attach

Remove attachment

Declaration

- ☐ *I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013, the rules thereunder and prescribed guidelines framed thereunder in respect of reservation of name, understood the meaning thereof and the proposed name is in conformity thereof.
- ☐ *I have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for checking the resemblance of the proposed name with the companies and Limited Liability partnerships (LLPs) respectively already registered or the names already approved. I have also used the search facility for checking the resemblance of the proposed name with registered trademarks and trade mark subject of an application under the Trade Marks Act, 1999 and other relevant search for checking the resemblance of the proposed name to satisfy myself with the compliance of the provisions of the Act for resemblance of name and Rules thereof.
- ☐ *The proposed name is not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 as amended from time to time.
- ☐ *The proposed name is not offensive to any section of people, e.g. proposed name does not contain profanity or words or phrases that are generally considered a slur against an ethnic group, religion, gender or heredity.
- ☐ *The proposed name is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force.
- ☐ *I undertake to be fully responsible for the consequences in case the name is subsequently found to be in contravention of the provisions of section 4(2) and section 4(4) of the Companies Act, 2013 and rules thereto and I have also gone through and understood the provisions of section 4(5) (ii) (a) and (b) of the Companies Act, 2013 and rules thereunder and fully declare myself responsible for the consequences thereof.
- ☐ *I [] a person named in the articles as a director of the company has been duly authorized by the promoters of the company to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of Director Identification Number (DIN), registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with.
- ☐ I am authorized by the promoter subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first director(s) to give this declaration and to sign and submit this Form.
- ☐ *I am authorised by each subscriber to declare that company shall not commence its business, unless each subscriber has paid the value of the shares agreed to be taken by him at the time of subscribing to the Memorandum of Association;
- ☐ I further declare that, company shall not commence its business, unless all the required approval from the sectoral Regulators such as RBI, SEBI etc. have been obtained;
- ☐ I on behalf of the promoters and the first directors, hereby declare that the registered office is capable of receiving and acknowledging all communications and notices addressed to the proposed company on incorporation , shall be maintained at the given address at item no. 4 of this form;
- ☐ *I, on behalf of all the first director(s) named in the Articles of Association of the proposed company, solemnly declare, that the declaration given herein as stated above are true to the best of my knowledge and belief, the information given in this integrated application form for incorporation and attachments thereto are correct and complete, and nothing relevant to this form has been suppressed. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form and are as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
- ☐ I, on behalf of the proposed Directors whose particulars for allotment of DIN are filled as above, hereby confirm and declare that they are not restrained, disqualified, removed for being appointed as Director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under section 154 of the Companies Act, 2013.

and I further declare that I have read and understood the provisions of Sections 154, 155, 447 and 448 read with Sections 449, 450 and 451 of the Companies Act, 2013.

having Membership number and/or certificate of practice number has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.

Note: Attention is drawn to the provisions of sections 7(5) and 7(6) which, *inter-alia*, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

To be digitally signed by director DSC BOX

DIN / PAN

Declaration and Certification by Professional

I, Member of having office at

who is engaged in the formation of the company declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

(a) the draft memorandum and articles of association have been drawn up in conformity with the provisions of sections 4 and 5 and rules made thereunder; and

(b) all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to registration of the company under section 7 of the Act and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

(c) I have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;

(d) I further declare that I have personally visited the proposed registered office given in the form at the address mentioned herein above and verified that the said proposed registered office of the company is functioning for the business purposes of the company (wherever applicable in respect of the proposed registered office has been given).

(e) It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

IndiaCode

*◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or
◯ Company secretary (in whole-time practice) ◯ Advocate

*Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

* Membership number

Certificate of practice number

*Income-tax PAN

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only: Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. INC-30

Memorandum of Association

[Pursuant to Schedule I (see sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013]

IndiaCode

Form language O English O Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

***Select the appropriate table applicable to company as notified under schedule I of the companies Act, 2013**

Table A- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES

1st The name of the company is ''.....Limited / Private Limited''.

2nd The registered office of the company will be situated in the State of.....

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are

4th The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

5th The share capital of the company is.....rupees, divided into.....shares of.....rupees each.

6th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	No. of shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
A.B. of.....Merchant			Signed before me: Signature.....
Total shares taken			

7th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.

8th Shri/Smt....., son/daughter of, resident of..... aged..... years shall be the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated.....the day of.....

Table B - MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING A SHARE CAPITAL

1st The name of the company is ".....Limited/Private Limited".

2nd The registered office of the company will be situated in the State of.....

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—

4th The liability of the member(s) is limited.

5th Every member of the company undertakes to contribute:

(i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and

(ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding.....rupees.

6th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of ...merchant		Signed before me Signature....

7th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of …merchant		Signed before me …. Signature….

8th Shri/Smt....., son/ daugther of, resident of..... aged..... years shall be the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated..... the day of……..

Table C- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL

1st The name of the company is "…….Limited/Private Limited".

2nd The registered office of the company will be situated in the State of……

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—

4th The liability of the member(s) is limited.

5th Every member of the company undertakes to contribute:

(i) to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member, or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member; and

(ii) to the costs, charges and expenses of winding up (and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves), such amount as may be required, not exceeding……rupees.

6th The share capital of the company is……rupees, divided into……shares of……rupees each

7th We, the several persons, whose names, addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	No. of shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
A.B. of……Merchant	…….		Signed before me: Signature……

8th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of …merchant		Signed before me …. Signature….

9th Shri/Smt....., son/daughter of, resident of..... aged..... years shall be the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated..... the day of.....

Table D- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL

1st The name of the company is "…….Company".

2nd The registered office of the company will be situated in the State of.....

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—

4th The liability of the member(s) is unlimited.

5th We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association.

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of …merchant		Signed before me …. Signature….

6th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of …merchant		Signed before me …. Signature….

7th Shri/Smt....., son/daughter of, resident of..... aged..... years shall be the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated..... the day of.....

Table E- MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING SHARE CAPITAL

1st The name of the company is "....Company".

2nd The registered office of the company will be situated in the State of.....

3rd (a) The objects to be pursued by the company on its incorporation are:—

(b) Matters which are necessary for furtherance of the objects specified in clause 3(a) are:—

4th The liability of the member(s) is unlimited.

5th The share capital of the company is.....rupees, divided into.....shares of.....rupees each.

6th We, the several persons, whose names, and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set against our respective names:—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	No. of shares taken by each subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses,
A.B. of.....Merchant	 :		Signed before me: Signature.....

7th I, whose name and address is given below, am desirous of forming a company in pursuance of this memorandum of association and agree to take all the shares in the capital of the company (Applicable in case of one person company):—

Names, addresses, descriptions and occupations of subscriber	Signature of subscriber	Signature, names, addresses, description and occupations of witnesses.
ABC of ...merchant		Signed before me Signature....

8th Shri/Smt....., son/daughter of, resident of..... aged..... years shall be the nominee in the event of death of the sole member (Applicable in case of one person company)

Dated..... the day of.....

FORM NO. INC-31

Articles of Association

[Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013)]

Form language O English O Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

IndiaCode

1. ***Select the appropriate table applicable to company as notified under schedule I of the companies Act, 2013**

Table F- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES		
Article No.	**Description**	**Applicable Y/N**
	Interpretation	
I	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Share capital and variation of rights	
II 1	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No

2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders	o Yes o No
3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No

6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No

11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer. (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	o Yes o No
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable. (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.	o Yes o No
	Calls on shares	
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call. (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No
14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	o Yes o No
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine. (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No

17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	

IndiaCode

23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and	o Yes o No

	(iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,— (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination; (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum; (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No
37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,— (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.	o Yes o No

Capitalisation of profits	
(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve— (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No
(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No

	Buy-back of shares	
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No

IndiaCode

	Adjournment of meeting	
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,— (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders. (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No

IndiaCode

	Proxy	
57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
63	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
65	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer	o Yes o No
78	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No
	Accounts	

89	(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors. (ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.	o Yes o No
	Winding up	
90	Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder— (i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not. (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. (iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.	o Yes o No
	Indemnity	
91	Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below.	o Yes o No

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers	Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant	Signed before me... Signature.....

Dated the.....day of20.....

Place:

Table G-ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAVING A SHARE CAPITAL		
Article No.	Description	Applicable Y/N
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
2	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o No
Table F- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES		
	Interpretation	
	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Share capital and variation of rights	
	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No

Indian Code

3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No
5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	

9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No
10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No
11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer. (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	o Yes o No
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable. (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.	o Yes o No
	Calls on shares	
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call. (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No

14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	o Yes o No
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine. (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No
17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No

21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	
23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No

Inmoco

26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No
27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No

32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	o Yes o No
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,— (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination; (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum; (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No

37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,— (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.	o Yes o No
	Capitalisation of profits	
39	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve— (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No

40	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No
	Buy-back of shares	
41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No

48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,— (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders. (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No

	Proxy	
57	The instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll; and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
58	An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
59	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
	Board of Directors	
60	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
61	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
62	The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
63	The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
64	All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
65	Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
78	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	**The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.**	**o Yes o No**

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No
	Accounts	

89	(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors. (ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.	o Yes o No
	Winding up	
90	Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder— (i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not. (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. (iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.	o Yes o No
	Indemnity	
91	Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:	o Yes o No

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers	Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant	Signed before me... Signature.....

Dated the.....day of20.....

Place:

Table H-ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL		
Article No	**Description**	**Applicability Y/N**
	Interpretation	
I	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Members	
II 1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
	General meetings	
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
4	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
5	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
6	The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No

7	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
8	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
9	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
10	Every member shall have one vote.	o Yes o No
11	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
12	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.	o Yes o No
13	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No
14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No

15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
	Board of Directors	
17	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
22	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
23	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No

24	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
25	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks proper. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.	o Yes o No
26	All acts done by any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
27	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
28	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board. (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
29	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	

30	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:	o Yes o No

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers	Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant	Signed before me... Signature.....

Dated the.....day of20.....

Place:

IndiaCode

TABLE – I- ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND HAVING A SHARE CAPITAL		
Article No	**Description**	**Applicability Y/N**
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, register an increase of members.	o Yes o No
2	All the articles of Table F in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company.	o Yes o No
Table F- ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY SHARES		
	Interpretation	

I		(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013, (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall bear the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
		Share capital and variation of rights	
II	1	Subject to the provisions of the Act and these Articles, the shares in the capital of the company shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par and at such time as they may from time to time think fit.	o Yes o No
	2	(i) Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within two months after incorporation, in case of subscribers to the memorandum or after allotment or within one month after the application for the registration of transfer or transmission or within such other period as the conditions of issue shall be provided,— (a) one certificate for all his shares without payment of any charges; or (b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of twenty rupees for each certificate after the first. (ii) Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon. (iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.	o Yes o No
	3	(i) If any share certificate be worn out, defaced, mutilated or torn or if there be no further space on the back for endorsement of transfer, then upon production and surrender thereof to the company, a new certificate may be issued in lieu thereof, and if any certificate is lost or destroyed then upon proof thereof to the satisfaction of the company and on execution of such indemnity as the company deem adequate, a new certificate in lieu thereof shall be given. Every certificate under this Article shall be issued on payment of twenty rupees for each certificate. (ii) The provisions of Articles (2) and (3) shall mutatis mutandis apply to debentures of the company.	o Yes o No
	4	Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.	o Yes o No

5	(i) The company may exercise the powers of paying commissions conferred by sub-section (6) of section 40, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by that section and rules made thereunder. (ii) The rate or amount of the commission shall not exceed the rate or amount prescribed in rules made under sub-section (6) of section 40. (iii) The commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in the one way and partly in the other.	o Yes o No
6	(i) If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of section 48, and whether or not the company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the shares of that class. (ii) To every such separate meeting, the provisions of these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the necessary quorum shall be at least two persons holding at least one-third of the issued shares of the class in question.	o Yes o No
7	The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.	o Yes o No
8	Subject to the provisions of section 55, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are to be redeemed on such terms and in such manner as the company before the issue of the shares may, by special resolution, determine.	o Yes o No
	Lien	
9	(i) The company shall have a first and paramount lien— (a) on every share (not being a fully paid share), for all monies (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share; and (b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all monies presently payable by him or his estate to the company: Provided that the Board of directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause. (ii) The company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable and bonuses declared from time to time in respect of such shares.	o Yes o No

10	The company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien: Provided that no sale shall be made— (a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or (b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.	o Yes o No
11	(i) To give effect to any such sale, the Board may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof (ii) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer. (iii) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.	o Yes o No
12	(i) The proceeds of the sale shall be received by the company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable. (ii) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.	o Yes o No
	Calls on shares	
13	(i) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times: Provided that no call shall exceed one-fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call. (ii) Each member shall, subject to receiving at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment, pay to the company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. (iii) A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.	o Yes o No
14	A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.	o Yes o No
15	The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.	o Yes o No
16	(i) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at ten per cent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine. (ii) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.	o Yes o No

17	(i) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable. (ii) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
18	The Board— (a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him; and (b) upon all or any of the monies so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the company in general meeting shall otherwise direct, twelve per cent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.	o Yes o No
	Transfer of shares	
19	(i) The instrument of transfer of any share in the company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee. (ii) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof.	o Yes o No
20	The Board may, subject to the right of appeal conferred by section 58 decline to register— (a) the transfer of a share, not being a fully paid share, to a person of whom they do not approve; or (b) any transfer of shares on which the company has a lien.	o Yes o No
21	The Board may decline to recognise any instrument of transfer unless— (a) the instrument of transfer is in the form as prescribed in rules made under sub-section (1) of section 56; (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.	o Yes o No
22	On giving not less than seven days' previous notice in accordance with section 91 and rules made thereunder, the registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine: Provided that such registration shall not be suspended for more than thirty days at any one time or for more than forty-five days in the aggregate in any year.	o Yes o No
	Transmission of shares	

23	(i) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his nominee or nominees or legal representatives where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the company as having any title to his interest in the shares (ii) Nothing in clause (i) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.	o Yes o No
24	(i) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either— (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. (ii) The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.	o Yes o No
25	(i) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (ii) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (iii) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.	o Yes o No
26	A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the company: Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.	o Yes o No

IndiaCode

27	In case of a One Person Company— (i) on the death of the sole member, the person nominated by such member shall be the person recognised by the company as having title to all the shares of the member; (ii) the nominee on becoming entitled to such shares in case of the member's death shall be informed of such event by the Board of the company; (iii) such nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable; (iv) on becoming member, such nominee shall nominate any other person with the prior written consent of such person who, shall in the event of the death of the member, become the member of the company.	o Yes o No
	Forfeiture of shares	
28	If a member fails to pay any call, or instalment of a call, on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.	o Yes o No
29	The notice aforesaid shall— (a) name a further day (not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made; and (b) state that, in the event of non-payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made shall be liable to be forfeited.	o Yes o No
30	If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.	o Yes o No
31	(i) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit. (ii) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.	o Yes o No
32	(i) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the company all monies which, at the date of forfeiture, were presently payable by him to the company in respect of the shares. (ii) The liability of such person shall cease if and when the company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.	o Yes o No
33	(i) A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the manager or the secretary, of the company, and that a share in the company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share; (ii) The company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of; (iii) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share; and (iv) The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any	o Yes o No

	irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.	
34	The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of nonpayment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.	o Yes o No
	Alteration of capital	
35	The company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.	o Yes o No
36	Subject to the provisions of section 61, the company may, by ordinary resolution,— (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; (b) convert all or any of its fully paid-up shares into stock, and reconvert that stock into fully paid-up shares of any denomination; (c) sub-divide its existing shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum; (d) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.	o Yes o No
37	Where shares are converted into stock,— (a) the holders of stock may transfer the same or any part thereof in the same manner as, and subject to the same regulations under which, the shares from which the stock arose might before the conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances admit: Provided that the Board may, from time to time, fix the minimum amount of stock transferable, so, however, that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose. (b) the holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the company, and other matters, as if they held the shares from which the stock arose; but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. (c) such of the regulations of the company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words "share" and "shareholder" in those regulations shall include "stock" and "stock-holder" respectively.	o Yes o No
38	The company may, by special resolution, reduce in any manner and with, and subject to, any incident authorised and consent required by law,— (a) its share capital; (b) any capital redemption reserve account; or (c) any share premium account.	o Yes o No
	Capitalisation of profits	

39	(i) The company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve— (a) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserve accounts, or to the credit of the, profit and loss account, or otherwise available for distribution; and (b) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (ii) amongst the members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions. (ii) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (iii), either in or towards— (A) paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such members respectively; (B) paying up in full, unissued shares of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such members in the proportions aforesaid; (C) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B); (D) A securities premium account and a capital redemption reserve account may, for the purposes of this regulation, be applied in the paying up of unissued shares to be issued to members of the company as fully paid bonus shares; (E) The Board shall give effect to the resolution passed by the company in pursuance of this regulation.	o Yes o No
40	(i) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Board shall— (a) make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares if any; and (b) generally do all acts and things required to give effect thereto. (ii) The Board shall have power— (a) to make such provisions, by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit, for the case of shares becoming distributable in fractions; and (b) to authorise any person to enter, on behalf of all the members entitled thereto, into an agreement with the company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid-up, of any further shares to which they may be entitled upon such capitalisation, or as the case may require, for the payment by the company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of profits resolved to be capitalised, of the amount or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares; (iii) Any agreement made under such authority shall be effective and binding on such members.	o Yes o No
	Buy-back of shares	

41	Notwithstanding anything contained in these articles but subject to the provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provision of the Act or any other law for the time being in force, the company may purchase its own shares or other specified securities.	o Yes o No
	General meetings	
42	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
43	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	
44	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
45	The chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
46	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
47	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
48	In case of a One Person Company— (i) the resolution required to be passed at the general meetings of the company shall be deemed to have been passed if the resolution is agreed upon by the sole member and communicated to the company and entered in the minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the member, (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the sole member.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	

49	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
50	Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares,— (a) on a show of hands, every member present in person shall have one vote; and (b) on a poll, the voting rights of members shall be in proportion to his share in the paid-up equity share capital of the company.	o Yes o No
51	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
52	(i) In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders. (ii) For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.	o Yes o No
53	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
54	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
55	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid	
56	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No
	Proxy	

the instrument appointing a proxy and the power-of-attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarised copy of that power or authority, shall be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.	o Yes o No
An instrument appointing a proxy shall be in the form as prescribed in the rules made under section 105	o Yes o No
A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
Board of Directors	
The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company.	o Yes o No
The Board may pay all expenses incurred in getting up and registering the company.	o Yes o No
The company may exercise the powers conferred on it by section 88 with regard to the keeping of a foreign register; and the Board may (subject to the provisions of that section) make and vary such regulations as it may thinks fit respecting the keeping of any such register.	o Yes o No
All cheques, promissory notes, drafts, hundis, bills of exchange and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, by such person and in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine	o Yes o No
Every director present at any meeting of the Board or of a committee thereof shall sign his name in a book to be kept for that purpose.	o Yes o No

66	(i) Subject to the provisions of section 149, the Board shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional director, provided the number of the directors and additional directors together shall not at any time exceed the maximum strength fixed for the Board by the articles. (ii) Such person shall hold office only up to the date of the next annual general meeting of the company but shall be eligible for appointment by the company as a director at that meeting subject to the provisions of the Act.	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
67	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
68	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote.	o Yes o No
69	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No
70	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their number to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
71	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
72	(i) A committee may elect a Chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
73	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks fit. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.	o Yes o No

74	All acts done in any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
75	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
76	In case of a One Person Company— (i) where the company is having only one director, all the businesses to be transacted at the meeting of the Board shall be entered into minutes book maintained under section 118; (ii) such minutes book shall be signed and dated by the director; (iii) the resolution shall become effective from the date of signing such minutes by the director.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
77	Subject to the provisions of the Act,— (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it may thinks fit; and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board; (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer	o Yes o No
78	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
79	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence.	o Yes o No
	Dividends and Reserve	
80	The company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.	o Yes o No

81	Subject to the provisions of section 123, the Board may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to it to be justified by the profits of the company.	o Yes o No
82	(i) The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the company such sums as it thinks fit as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalizing dividends; and pending such application, may, at the like discretion, either be employed in the business of the company or be invested in such investments (other than shares of the company) as the Board may, from time to time, thinks fit. (ii) The Board may also carry forward any profits which it may consider necessary not to divide, without setting them aside as a reserve	o Yes o No
83	(i) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividends may be declared and paid according to the amounts of the shares. (ii) No amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this regulation as paid on the share. (iii) All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.	o Yes o No
84	The Board may deduct from any dividend payable to any member all sums of money, if any, presently payable by him to the company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.	o Yes o No
85	(i) Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. (ii) Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent.	o Yes o No
86	Any one of two or more joint holders of a share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such share.	o Yes o No
87	Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the persons entitled to share therein in the manner mentioned in the Act.	o Yes o No
88	No dividend shall bear interest against the company.	o Yes o No
	Accounts	

89	(i) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being directors. (ii) No member (not being a director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the company except as conferred by law or authorised by the Board or by the company in general meeting.	o Yes o No
	Winding up	
90	Subject to the provisions of Chapter XX of the Act and rules made thereunder— (i) If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the Act, divide amongst the members, in specie or kind, the whole or any part of the assets of the company, whether they shall consist of property of the same kind or not. (ii) For the purpose aforesaid, the liquidator may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. (iii) The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories if he considers necessary, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.	o Yes o No
	Indemnity	
91	Every officer of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in which relief is granted to him by the court or the Tribunal. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:	o Yes o No

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers	Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant	Signed before me... Signature.....

Dated the.....day of20.....

Place:

TABLE – J - ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED COMPANY AND NOT HAVING SHARE CAPITAL		
Article No	**Description**	**Applicability Y/N**
1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
3	All the articles of Table H in Schedule I annexed to the Companies Act, 2013 shall be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the company	o Yes o No
Table H-ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND NOT HAVING SHARE CAPITAL		
	Interpretation	
I	(1) In these regulations— (a) "the Act" means the Companies Act, 2013; (b) "the seal" means the common seal of the company. (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these regulations shall have the same meaning as in the Act or any statutory modification thereof in force at the date at which these regulations become binding on the company.	o Yes o No
	Members	
II 1	The number of members with which the company proposes to be registered is hundred, but the Board of Directors may, from time to time, whenever the company or the business of the company requires it, register an increase of members.	o Yes o No
2	The subscribers to the memorandum and such other persons as the Board shall admit to membership shall be members of the company.	o Yes o No
	General meetings	
3	All general meetings other than annual general meeting shall be called extraordinary general meeting.	o Yes o No
4	(i) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. (ii) If at any time directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum are not within India, any director or any two members of the company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may be called by the Board.	o Yes o No
	Proceedings at general meetings	

5	(i) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. (ii) Save as otherwise provided herein, the quorum for the general meetings shall be as provided in section 103.	o Yes o No
6	The Chairperson, if any, of the Board shall preside as Chairperson at every general meeting of the company.	o Yes o No
7	If there is no such Chairperson, or if he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as Chairperson of the meeting, the directors present shall elect one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
8	If at any meeting no director is willing to act as Chairperson or if no director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	Adjournment of meeting	
9	(i) The Chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. (ii) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. (iii) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. (iv) Save as aforesaid, and as provided in section 103 of the Act, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.	o Yes o No
	Voting rights	
10	Every member shall have one vote.	o Yes o No
11	A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.	o Yes o No
12	No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all sums presently payable by him to the company have been paid.	o Yes o No
13	(i) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. (ii) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairperson of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.	o Yes o No

14	A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect of which the proxy is given: Provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer shall have been received by the company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.	o Yes o No
15	A member may exercise his vote at a meeting by electronic means in accordance with section 108 and shall vote only once.	o Yes o No
16	Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.	o Yes o No
	Board of Directors	
17	The number of the directors and the names of the first directors shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or a majority of them.	o Yes o No
18	(i) The remuneration of the directors shall, in so far as it consists of a monthly payment, be deemed to accrue from day-to-day. (ii) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them— (a) in attending and returning from meetings of the Board of Directors or any committee thereof or general meetings of the company; or (b) in connection with the business of the company	o Yes o No
	Proceedings of the Board	
19	(i) The Board of Directors may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate its meetings, as it thinks fit. (ii) A director may, and the manager or secretary on the requisition of a director shall, at any time, summon a meeting of the Board.	o Yes o No
20	(i) Save as otherwise expressly provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes. (ii) In case of an equality of votes, the Chairperson of the Board, if any, shall have a second or casting vote	o Yes o No
21	The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board; but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum, or of summoning a general meeting of the company, but for no other purpose.	o Yes o No

	(i) The Board may elect a Chairperson of its meetings and determine the period for which he is to hold office. (ii) If no such chairperson is elected, or if at any meeting the Chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	(i) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to committees consisting of such member or members of its body as it thinks fit. (ii) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.	o Yes o No
	(i) A committee may elect a chairperson of its meetings. (ii) If no such Chairperson is elected, or if at any meeting the chairperson is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairperson of the meeting.	o Yes o No
	(i) A committee may meet and adjourn as it thinks proper. (ii) Questions arising at any meeting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.	o Yes o No
	All acts done by any meeting of the Board or of a committee thereof or by any person acting as a director, shall, notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such director or such person had been duly appointed and was qualified to be a director.	o Yes o No
	Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution in writing, signed by all the members of the Board or of a committee thereof, for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Board or committee, shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board or committee, duly convened and held.	o Yes o No
	Chief Executive Officer, Manager, Company Secretary or Chief Financial Officer	
	Subject to the provisions of the Act, – (i) A chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer may be appointed by the Board for such term, at such remuneration and upon such conditions as it thinks fit, and any chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer so appointed may be removed by means of a resolution of the Board. (ii) A director may be appointed as chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No

indiacode

29	A provision of the Act or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a director and chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as director and as, or in place of, chief executive officer, manager, company secretary or chief financial officer.	o Yes o No
	The Seal	
30	(i) The Board shall provide for the safe custody of the seal. (ii) The seal of the company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorised by it in that behalf, and except in the presence of at least two directors and of the secretary or such other person as the Board may appoint for the purpose; and those two directors and the secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the company is so affixed in their presence. Note: The Articles shall be signed by each subscriber of the memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:	o Yes o No

Names, addresses, descriptions and occupations of subscribers	Witnesses (along with names, addresses, descriptions and occupations)
ABC of merchant	Signed before me... Signature.....

Dated the.....day of20.....

Place:

[F. No. 01/13/2013-CL-V (Part-I)]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.